असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

29 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 29 फरवरी, 2024 ई0
एकादश सत्र — 10 फाल्गुन, 1945(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-33 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- अस्वीकारात्मक ।

खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15.02.2024 निर्धारित है । उक्त के आलोक में दिनांक- 13.02.2024 तक 2747109.7 (सताईस लाख सैंतालीस हजार एक सौ नौ दशमलव सात) मे0 टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है ।

2- बिहार राज्य के किसानों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य तथा झारखंड राज्य में धान बेचने की अधिकारिक सूचना जिलों से प्राप्त नहीं हुई है ।

3- खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 में राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस की राशि जोड़कर भुगतान करने से संबंधित कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

(व्यवधान)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : इसमें माननीय मंत्री जी ने...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 13.02.2024 तक केवल 27 लाख 47 हजार 109 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हो सकी है, जबकि लक्ष्य सरकार का 15.02.2024 तक का 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का था तो दो दिन केवल बचा है तो 27 को हम 30 कर दें तो दो-तिहाई से ज्यादा धान अधिप्राप्ति नहीं हो पायी है तो महोदय, इसका क्या समुचित कारण है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है । किसान अपनी रूचि के अनुसार धान की बिक्री करते हैं, उनपर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है कि आप धान बेचिए ही और दूसरा जो प्रश्न इन्होंने किया है कि धान की खरीद 15.02.2024 तक 30 लाख 80 हजार 445 मीट्रिक टन खरीद की गई है तो माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वाजिब है लेकिन जब किसान अपनी मर्जी से धान बेचते हैं तो इस संदर्भ में हमलोग क्या कर सकते हैं ? जितना उन्होंने धान बेचा, सरकार के द्वारा खरीदा गया महोदय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह कारण तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 917 रुपया बोनस दिया जा रहा है, झारखंड में भी एक सौ कुछ रुपया बोनस देकर 3100 रुपया प्रति क्विंटल है और यहां हमलोग 2100 कुछ रुपया दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि व्यापारी जहां भाव तेज होगा, वहां का माल उठाकर वह किसी रास्ते से वहां ले जाएगा...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : तो इसके कारण तो हमारा कम नहीं हो रहा है कि हम बोनस नहीं दे रहे हैं तो सरकार बोनस देना चाहती है धान पर किसानों को ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया है और माननीय सदस्य को मैंने बताया है कि 15.02.2024 तक कितनी धान की खरीद की गई है और हमने कहा है कि किसान पर कुछ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, वह अपनी मर्जी से धान की खरीद-बिक्री करते हैं, अपने सामानों को बेचते हैं-खरीदते हैं और जहां तक बोनस का सवाल है तो सरकार के पास कोई ऐसी योजना अभी नहीं है महोदय ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय...

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय प्रधानमंत्री और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री दोनों ही लोगों का उद्देश्य है कि बिहार के किसानों की माली हालत में सुधार हो, उनकी आय

दुगुनी हो तो जब हम उनकी आय को दुगुना करना चाहते हैं तो हम अगर बोनस नहीं देंगे तो आप पिछले वर्ष का माननीय मंत्री जी को कहिए रिकॉर्ड बताने के लिए कि जिस समय हमलोग बोनस देते थे...

अध्यक्ष : आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप पूरक पूछिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : बिहार में जिस समय हम बोनस देते थे क्या उस समय लक्ष्य के करीब हमलोग पहुंच रहे थे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विस्तार से भी जवाब हम दे सकते हैं, पूरी तैयारी है । 2022-23 में, 2021-22 में, 2020-21 में कितनी धान की अधिप्राप्ति हुई है, पूरा डिटेल है महोदय । कहेंगे तो माननीय सदस्य को इसकी कॉपी भिजवा देंगे, माननीय सदस्य अध्ययन कर लेंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय...

अध्यक्ष : आपका तीन पूरक हो गया, अब आप बैठ जाइए ।
श्री मुरारी मोहन झा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-34 (श्री मुरारी मोहन झा, क्षेत्र सं0-86, केवटी)</u>

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक स्वीकारात्मक ।

विभागीय पत्रांक-1137(9) दिनांक-11.05.23 द्वारा ऑनलाईन की गयी डिजिटाईजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदियों की जांच के संबंध में निदेश निर्गत किया गया है जिसमें अपर समाहर्ता के सतत् निगरानी में भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा डिजिटाईजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदियों के जमाबंदी सृजन का आधार एवं जमाबंदी खेसरों का प्रकार (रैयती/सरकारी/बकास्त/बेलगान) की जांच कर गलत तरीके से ऑनलाईन की गई जमाबंदियों के रद्दीकरण की कार्रवाई किया जाना है ।

पुनः विभागीय पत्रांक-2981 दिनांक-10.10.2023 द्वारा ऑनलाईन की गयी डिजिटाईजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदियों की जांच से संबंधित प्रतिवेदन ऑनलाईन माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिलों को दिया गया है ।

विभागीय उक्त निदेश के आलोक में राज्य अंतर्गत कुल-965216 जमाबंदियों का सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है । दिनांक-23.02.2024 तक संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा कुल-27630 जमाबंदियों का सत्यापन किया गया जिसमें से 8254 जमाबंदी में त्रुटि पाये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है ।

शेष जमाबंदियों के सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, मुरारी जी ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरक है कि बचे हुए जमाबंदियों की कब तक नापी हो जाएगी ? महोदय, हमारे यहां एक बरही में 80 एकड़ जमीन है, वक्फ बोर्ड का है जो सभी लोग वहां के कब्जा किए बैठे हुए हैं तो हमारे एरिया में ऐसे करीब 200 बिगहा जमीन होगा...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : कब तक उसका नापी हो जाएगा और वह अतिक्रमणमुक्त हो जाएगा यह हम सरकार से जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को स्पष्ट जवाब दिया गया है कि राज्य अंतर्गत कुल-965216 जमाबंदियों का सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है । दिनांक-23.02.2024 तक संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा कुल-27630 जमाबंदियों का सत्यापन किया गया जिसमें से 8254 जमाबंदियों में त्रुटि पाये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है । शेष जमाबंदियों के सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, महोदय ।

अध्यक्ष : हो रहा है सत्यापन ।

श्री मुरारी मोहन झा : धन्यवाद महोदय, मगर बरही वाला स्पेशली उसमें जोड़ दिया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आप एक लिखकर दे दीजिए, उसको हमलोग दिखवा लेंगे ।

श्री मुरारी मोहन झा : जी धन्यवाद महोदय ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-35 (श्री राजेश कुमार, क्षेत्र सं0-222, कुटुम्बा (अ0जा0)</u>

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1- अस्वीकारात्मक ।

1 लाख 92 हजार किसानों द्वारा धान की खेती, 1 लाख किसानों द्वारा गेहूं की खेती तथा 59 हजार किसानों के द्वारा सब्जी की खेती छोड़ने के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक आंकड़े संधारित नहीं हैं ।

राज्य में लगभग 91 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में हैं जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत खेती ही है । अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर गेहूं, धान, मक्का एवं सब्जी के विगत दो वर्षों के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वास्तव में कुल आच्छादन क्षेत्र में कोई स्पष्ट कमी नहीं हो रही है । वर्ष 2022-23 में धान

एवं गेहूं के आच्छादन में जो मामूली कमी दिख रही है वह वास्तव में मक्का के आच्छादन में परिवतर्तित हो रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :-

इकाई- लाख हे0 में

वर्ष	धान	गेहूं	मक्का	सब्जी
2021-22	30.	22.39	6.63	9.09
2022-23	29.	22.37	7.48	9.19
2023-24 (द्वितीय अग्रिम पूर्वानुमान	30.	22.33	5.64	

2023-24 के मक्का के आच्छादन में गरमा फसल का आच्छादन अंकित नहीं है तथा अंतिम प्रतिवेदन से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि किसान का रूझान मक्का की खेती की ओर बढ़ रहा है ।

2- किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीद राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ।

किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन एवं सब्जी के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

अधिक मुनाफा वाली फसल यथा मक्का की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसकी मांग विभिन्न उद्योगों में बढ़ रही है खासकर एथेनॉल से संबंधित उद्योगों में।

किसानों को डेडिकेटेड फीडर के माध्यम से 75 पैसे प्रति यूनिट सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है । आधुनिक सिंचाई प्रणाली यथा ड्रिप एवं स्प्रींकलर विधि से सिंचाई हेतु अनुदान दिया जा रहा है ।

वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने हेतु पंचायत स्तर तक किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

कृषकों के उत्पाद के विपणन हेतु कृषि विभाग में अलग से निदेशालय गठित किया गया है ताकि उत्पादों के विपणन हेतु किसानों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा सके ।

प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि आदि से हुई फसल क्षति की स्थिति में प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । गत वर्ष ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिये 89,300 (नवासी हजार तीन सौ) किसानों के बीच 56.09 करोड़ डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किया गया ।

सरकार द्वारा सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल अनुदान योजना/आकस्मिक फसल योजना आदि कार्यक्रम चलाये जाते हैं । गत वर्ष डीजल अनुदान योजना में 6,30,538 (छः लाख तीस हजार पांच सौ अड़तीस) कृषकों के बीच लगभग 102.94 करोड़ रु0 सीधे उनके खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अंतरित किये गये । वर्षापात की कमी एवं सुखाड़ जैसी स्थिति में आकस्मिक फसल योजनान्तर्गत 2,05,017 (दो लाख पांच हजार सत्रह) किसानों के बीच लगभग 18.15 करोड़ की लागत से 13328 क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया ।

बैंकों से अल्पावधि कृषि ऋण पर योग्य किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा 3 % एवं राज्य सरकार द्वारा 1 % ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाता है ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष रैयत किसानों को 6000 रुपया उपलब्ध कराया जा रहा है । अब तक राज्य के कुल 83.54 लाख से अधिक किसानों को 20647 (बीस हजार छः सौ सैंतालीस) करोड़ से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा चुका है । आज दिनांक-28.02.2024 को 75 लाख 11 हजार किसानों के बीच 1665.24 करोड़ रु0 सीधे उनके खाते में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है ।

इस प्रकार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है तथा उनके आय में वृद्धि के लिये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर संभव प्रयास कर रही है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर ऑनलाइन आया है । यह जो सरकार का उत्तर ऑनलाइन आया है यह स्पष्ट रूप से सरकार का उत्तर आया है कि यह आंकड़ा प्रमाणिक नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं

कि विभाग में जो कृषि सलाहकार सचिव हैं, विभाग के कई पदाधिकारी हैं, विभाग में कई लोग काम कर रहे हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : जी पूरक ही है सर । तो यह प्रमाणिक आंकड़ा क्यों नहीं है सरकार यह बताएं तो उसके बाद मैं अगला पूरक करूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं तो स्पष्ट बताया गया है कि 1 लाख 92 हजार किसानों द्वारा धान की खेती, 1 लाख किसानों द्वारा गेहूं की खेती तथा 59 हजार किसानों द्वारा सब्जी की खेती छोड़ने के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े संधारित नहीं हैं ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं वही कहता हूं कि हमारा कृषि से संबंधित कई रोड मैप तैयार है तो यदि यह आंकड़ा हमारे किसान के पास नहीं है और मेरा सीधा सवाल था कि आखिर किसान इतने बड़े पैमाने पर कृषि से, खेती से क्यों विमुक्त हो रहे हैं, उनका आंकड़ा क्यों घट रहा है, उत्पादन क्षमता क्यों घट रहा है ? हमारा सीधा सवाल है कि सरकार रोड मैप तैयार कर रही है और आपके पास आंकड़ा नहीं है और हमारा यह दावा है कि गेहूं की खेती में, सब्जी के खेती में किसान उससे विमुक्त होकर कृषि छोड़ रहे हैं...

अध्यक्ष : सुझाव और आंकड़ा होना चाहिए, ठीक है ।

श्री राजेश कुमार : मेरा सुझाव यह है कि सरकार इसके आंकड़ा को उपलब्ध कराकर प्रमाणिक तौर पर यह करे कि आखिर किसान अपनी खेती को क्यों छोड़ रहे हैं, विमुक्त क्यों हो रहे हैं ?

अध्यक्ष : ठीक है, बैठिए ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-36 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)</u>

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक स्वीकारात्मक ।

राज्य में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है । अबतक दाखिल-खारिज हेतु विभाग को प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति निम्न है:-

1. कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या-12279566 (एक करोड़ बाईस लाख उनासी हजार पांच सौ छियासठ)

2. कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या-11509308 (एक करोड़ पन्द्रह लाख नौ हजार तीन सौ आठ)

3. निष्पादन के क्रम में विवादास्पद एवं प्राप्त आपत्ति के आधार पर कुल 4634917 (छियालीस लाख चौंतीस हजार नौ सौ सतरह) आवेदनों को खरिज किया गया ।

4. शेष लंबित आवेदनों की संख्या-770264 (साल लाख सत्तर हजार दौ सौ चौसठ) ।

ज्ञातव्य है कि विवादास्पद एवं आपत्ति प्राप्त भूमि का दाखिल-खारिज करने से भूमि विवाद/न्यायिक मामलों/आपसी तनाव की संख्या में बढ़ोतरी होती है जो कि समाज एवं जन समुदाय के हित में नहीं है । इसलिये दाखिल-खारिज निष्पादन के क्रम में प्राप्त आपत्तियों की सूक्ष्म करने के उपरांत ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है । आपत्ति प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समय-सीमा 75 दिन जबकि बिना आपत्ति वाले आवेदनों की समय-सीमा 35 दिन है ।

विभाग दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय त्वरित निष्पादन करने के लिये प्रतिबद्ध है । इस क्रम में विभाग द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं:-

1. विभागीय पत्रांक 308(9), दिनांक-7.2.2023 द्वारा सभी समाहर्ता को निदेशित किया गया कि दाखिल-खारिज आवेदनों को प्रत्येक स्तर पर यथा दाखिल-खारिज निष्पादन की कार्रवाई करने वाले प्रत्येक कर्मी/पदाधिकारी द्वारा तय अवधि एवं निर्धारित प्रावधान के तहत निष्पादित किया जायेगा और बिना स्पष्ट कारणों के अस्वीकृत नहीं किया जायेगा । साथ ही दाखिल-खारिज आवेदनों को निष्पादित करने के क्रम में FIFO (First in First Out) पद्धति का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया है ।

2. दाखिल-खारिज आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी अंचलों में ODD-EVEN प्रणाली अपनायी गयी है जिसमें अंचल अधिकारी के साथ-साथ राजस्व अधिकारी को भी दाखिल-खारिज करने की शक्ति प्रदान की गयी है ।

अध्यक्ष : श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, पूरक पूछिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बिहार में दाखिल-खारिज के पेंडिंग मामले 7 लाख 70 हजार 284 हैं अभी तक और उन्होंने यह भी कहा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए महबूब साहब ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : कि जिस मामले में आपत्ति है उसको 75 दिन के अंदर और जिस मामले में कोई आपत्ति नहीं है 35 दिन के अंदर निष्पादन करना है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि अब तक अनापत्ति वाले कितने आवेदन 35 दिनों के अंदर निष्पादन किए गए और कितने लंबित हैं और आपत्ति वाले कितने आवेदन 75 दिनों के अंदर निष्पादित किए गए और कितने लंबित हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, दाखिल-खारिज में समयसीमा का अनुपालन नहीं किए जाने के लिए दोषियों पर कार्रवाई की बात माननीय सदस्या ने कही है और विस्तार से इन्हें उत्तर दिया गया है । विभाग दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय त्वरित निष्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है । इस क्रम में विभाग द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं :- विभागीय पत्रांक 308(9), दिनांक 7 फरवरी, 2023 द्वारा सभी समाहर्ताओं को निदेशित किया गया कि दाखिल-खारिज आवेदनों को प्रत्येक स्तर पर यथा दाखिल-खारिज निष्पादन की कार्रवाई करने वाले प्रत्येक कर्मी/पदाधिकारी द्वारा तय अवधि एवं निर्धारित प्रावधान के तहत निष्पादित किया जायेगा और बिना स्पष्ट कारणों के अस्वीकृत नहीं किया जायेगा । साथ ही दाखिल-खारिज आवेदनों को निष्पादित करने के क्रम में FIFO (First in First Out) पद्धति का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया है । दाखिल-खारिज आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी अंचलों में ODD-EVEN प्रणाली अपनायी गयी है जिसमें अंचल अधिकारी के साथ-साथ राजस्व अधिकारी को भी दाखिल-खारिज करने की शक्ति प्रदान की गयी है । यह व्यवस्था है और इस व्यवस्था में सरकार सजग है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो मुद्रित था और मैंने पढ़ा भी था...

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्रीमती शालिनी मिश्रा : मैंने पूरक यह पूछा कितने मामले लंबित हैं, कितने मामले निष्पादित हुए 35 दिन के अंदर अनापत्ति वाले और 75 दिन के अंदर आपत्ति वाले, यह मेरा सीधा सवाल था । उत्तर तो मेरे पास था ही, हालांकि नहीं आया जवाब, मैं अपना दूसरा पूरक पूछती हूं ।

टर्न-2/सुरज/29.02.2024

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्पष्ट ऊपर में ही है कि कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,22,79,566 (एक करोड़ बाईस लाख उनासी हजार पांच सौ छियासठ) है और कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या 1,15,09,308 (एक करोड़ पन्द्रह लाख नौ हजार तीन सौ आठ) है और निष्पादन के क्रम में विवादास्पद एवं प्राप्त आपत्ति के आधार पर कुल 46,34,917 (छियालीस लाख चौतीस हजार नौ सौ सतरह) आवेदन को खारिज किया गया ।

अध्यक्ष : आंकड़े दिये हुये हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मेरा दूसरा पूरक है...

अध्यक्ष : तीसरा पूरक, दो हो गया ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, एक ही पूरक पूछा मैंने । दूसरा, पूरक है कि विभागीय सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-3089, दिनांक-07.02.2023 के निर्देश के आलोक में राज्य में कितने जिला पदाधिकारियों ने दोषी अंचलाधिकारियों को चिन्हित करते हुये उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हुये आरोप पत्र गठित कर विभाग को कार्रवाई हेतु भेजा ?

अध्यक्ष : अलग से पूछियेगा जानकारी दे दी जायेगी, बैठिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, दोषियों के लिये ही यह सवाल था तो मैं सीधा जानना चाहती हूं कि कितने अंचलाधिकारियों के लिये भेजा है ? यह एक गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, बहुत गंभीर मामला है । सचिव के कहने पर भी जिलाधिकारी नहीं भेजते हैं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आपत्ति प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समय-सीमा 75 दिन जबकि बिना आपत्ति वाले आवेदनों की समय-सीमा 35 दिन है और दाखिल-खारिज आवेदनों के निष्पादन करने के क्रम में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनियमितता बरतने के कारण विभाग द्वारा लगभग सौ पदाधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-37 (श्री राजेश कुमार, क्षेत्र सं0-222, कुटुम्बा(अ0जा0))</u>

श्री राजेश कुमार : महोदय, मेरा ऑनलाइन उत्तर अपलोड नहीं था ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री सहकारिता विभाग उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है।

अध्यक्ष : ठीक है । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सूचना का सवाल है ।

अध्यक्ष : कोई सूचना नहीं है, क्या है ?

श्री महबूब आलम : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि टीचर 9 बजकर 45 मिनट में आयेंगे और 4 बजकर 15 मिनट में जायेंगे । इस आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : बैठिये । श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

(व्यवधान)

बोलिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-''क'' 129 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र सं0-226, शेरघाटी)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेरघाटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, शेरघाटी की सामान्य बोर्ड की बैठक में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापन से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है । नगर परिषद्, शेरघाटी की सामान्य बोर्ड द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापन से संबंधित प्रस्ताव लिया जाता है तो प्रस्ताव के आलोक में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित कर दी जायेगी ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, उत्तर आ चुका है । अभी कुछ दिन पूर्व ही सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी थी...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

जिसमें नगर परिषद्, शेरघाटी में राशि की अनुपलब्धता की बातें कही गयी है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल से कही गयी कोई बात नहीं सुनी जायेगी । अपने स्थान पर बैठिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : मैं चाहूंगी कि विभाग अपने स्तर से कार्य कराये और राशि की उपलब्धता कराने का विचार करे ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वहां 15^{th} फाइनेंस के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाती है और साथ ही साथ स्टेट का जो 6^{th} स्टेट फाइनेंस है, वहां से भी राशि उपलब्ध करायी गयी थी तो हम सरकार की तरफ से निर्देशित जरूर करेंगे । चूंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि लोकहित में सी0सी0टी0वी0 कैमरा सभी जगह लगे और आज विधेयक भी आने वाला है कि सभी चौक-चौराहों पर, जो भी सार्वजनिक स्थल है वहां मठ हो, मंदिर हो या कोई भी प्राइवेट संस्थान हो सभी जगह लगाने का काम किया जायेगा...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : इसलिये आगे के दिनों में नगर विकास एवं आवास विभाग इस पर जरूर विचार करेगा और वहां निर्देशित भी करेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, वहां राशि नहीं है इसलिये मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय अपने विभागीय स्तर से अतिशीघ्र कराये ताकि क्राइम को रोका जा सके ।

तारांकित प्रश्न सं0-''ख'' 634 (श्री बीरेन्द्र सिंह, क्षेत्र सं0-234, वजीरगंज)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि पईन की सफाई हेतु अंचलाधिकारी वजीरगंज के यहां परिवाद दायर किया गया था । अतिक्रमणवाद संख्या-13/2021-22 संधारित है, जिसमें खाता संख्या-559, खेसरा संख्या-137, 150, 160, 387, 2532, 2530, 4503 और 4604 से संबंधित भूमि का विवाद चलाया गया । अतिक्रमण भूमि विवाद पर अधिकांश महादलित के परिवार बसे हैं । महादलित परिवार के समुदाय को जब तक अन्यन विस्थापित नहीं किया जायेगा, तब तक पूर्णत: अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सकता है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वजीरगंज द्वारा इस संबंध में अंचलाधिकारी, वजीरगंज से समन्वय स्थापित किया गया तथा दिनांक-09.02.2024 को अतिक्रमण स्थल पर पुन: निरीक्षण किया गया तथा अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया । महादलित परिवार को पुर्नवास हेतु जब तक भूमि बंदोवस्त नहीं किया जाता तब तक अतिक्रमण स्थल से उन्हें हटाया जाना मुश्किल है तथा अमानवीय है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है...

अध्यक्ष : इतना विस्तृत जवाब दिया है माननीय मंत्री जी ने ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : सुना जाय महोदय, आपका संरक्षण चाहिये । पूरक प्रश्न है कि वहां किसी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं किया गया है और कार्यपालक पदाधिकारी पटना में ही रहते हैं, वह वजीरगंज में नहीं रहते हैं और महादलित दूसरे साइड में बसे हुये हैं । महोदय, यह किसानों से संबंधित मामला है इसलिये मुझे मंत्री महोदय से समय-सीमा चाहिये कि कब तक आखिर सरकार अतिक्रमण हटा सकती है ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जिलाधिकारी से इसकी जांच करा लेता हूं । यदि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने गलत रिपोर्ट दिया है, असत्य रिपोर्ट दिया है तो इसकी जांच करवाकर तुरंत कार्रवाई का आदेश देता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्नकाल है, आप ही लोगों का प्रश्न है । क्यों सुधाकर जी का प्रश्न आपलोग बर्बाद करना चाहते हैं । बैठ जाइये, प्रश्नकाल चलने दीजिये ।

तारांकित प्रश्न सं0- 1274 (श्री सुधाकर सिंह, क्षेत्र सं0-203, रामगढ़)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1275 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0-194, आरा)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आशिंक स्वीकारात्मक । सहरसा जिलान्तर्गत कुल 2074 आयरन युक्त वार्डों में से 1725 वार्डों में लौह निष्कासन संयंत्र के अधिष्ठापनोपरान्त कार्य पूर्ण कराकर शुद्ध जलापूर्ति दी जा रही है । शेष 345 वार्डों का मामला (CWJC No.1124/2020), माननीय उच्च न्यायालय, पटना में परिवाद होने के कारण विचाराधीन है एवं 5 वार्डों में स्थानीय/बेचिरागी होने के कारण कार्य नहीं किया गया है परंतु वर्तमान जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार स्थानीय विवाद सुलझा कर एक वार्ड में योजना पूर्ण कर दिया गया है एवं दूसरे वार्ड में योजना का कार्य प्रगति पर है । शेष अन्य विवादास्पद स्थल पर कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

सहरसा जिलान्तर्गत कुल 267 छूटे हुये टोले/बसावटों का निविदा निस्तार की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

पूर्णियां प्रमंडल अंतर्गत कुल 1628 आयरन युक्त वार्डों में से 1610 में लौह निष्कासन संयंत्र के अधिष्ठापनोपरांत कार्य पूर्ण कराकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । शेष 10 वार्डों का मामला (CWJC No.4531/2020), माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में परिवाद होने के कारण विचाराधीन है ।

पूर्णियां प्रमंडल अंतर्गत कुल 318 छूटे हुये टोले/बसावटों का निविदा निस्तार की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा अंतर्गत कुल 1194 वार्डों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य कराया गया है । इस प्रमंडल अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के 555 वार्डों में Water Treatment Plant लगाकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । भोजपुर जिलान्तर्गत कुल 1920 वार्डों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है । इन वार्डों में योजना का संचालन हेतु As is where is basis पर PHED को को हस्तांतरित कर दिया गया है । जिलान्तर्गत कुल 3114 वार्ड है जिसमें किसी भी वार्ड में आयरन की समस्या नहीं है ।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत कुल 924 अदद् वार्डों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य कराया गया है । इस प्रमंडल अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में 196 अदद् वार्डों में Water Treatment Plant लगाकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । बक्सर जिलान्तर्गत कुल 1054 अदद् वार्डो में ''हर घर नल का जल'' का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है । इन वार्डों में योजना का संचालन हेतु As is where is basis पर PHED को को हस्तांतरित कर दिया गया है । जिलान्तर्गत कुल 1978 वार्डों में आयरन की समस्या नहीं है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, आप ही लोगों का प्रश्न है न । बैठियेगा तब न होगा । वेल में कही गयी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी । बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

बिल्कुल बहाल रहेगी सदन की गरिमा । चिंता मत करिये, बैठ जाइये अपने स्थान पर । सदन की गरिमा को कोई भंग नहीं कर सकता है । बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मेरा पूरक यही है कि आरा में, बक्सर में मैं जानता हूं भौतिक रूप से और मैंने देखा है वहां कि Water Treatment Plant काम नहीं कर रहा है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठियेगा तब न । बैठ जाइये, उसके बाद ही न कोई बात होगी, बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : न उसके जो टेक्निशियन हैं, केमिस्ट हैं, लैब असिस्टेंट हैं, कोई नहीं रहता है और Water Treatment Plant के नाम पर कुछ नहीं जो रॉ वाटर है

वही सप्लाई होता है तो मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि क्या सरकार भौतिक सत्यापन कराके आरा और बक्सर में जहां भी है, जहां भी Treatment Plant कहा गया है, Treatment Plant चल रहा है, नहीं चल रहा है पता करके सरकार और जिम्मेवार पदाधिकरियों पर कार्रवाई करते हुये Water Treatment Plant को चालू कराके और पानी पीने के लिये सहज रूप में जिस पानी की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति करना चाहती है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल से कही गयी कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी । अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो सहरसा, पूर्णियां, भोजपुर, बक्सर की चिंता व्यक्त किये हैं और आरा के संदर्भ में उन्होंने कहा 1194 वार्डों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य कराया गया है । इस प्रमंडल अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों के 555 वार्डों में Water Treatment Plant लगाकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है । भोजपुर जिलान्तर्गत कुल 1920 वार्डों में ''हर घर नल का जल'' का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है । इन वार्डों में योजना का संचालन हेतु As is where is basis पर PHED को हस्तांतरित कर दिया गया है । जिलान्तर्गत कुल 3114 वार्ड है जिसमें किसी भी वार्ड में आयरन की समस्या नहीं है । उसके बावजूद इनका जो कहना है । हम एक स्पेशल कमेटी, एक टीम भेजकर जांच करवा लेंगे और सही पाये जाने पर कार्रवाई भी करेंगे और उसको ठीक करके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी बनाने का विभाग को निर्देशित करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : धन्यवाद ।

टर्न-3/राहुल/29.02.2024

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपनी पार्टी के मेंबर अरूण बाबू का सवाल खत्म करना चाहते हैं । बैठिये न, उनका सवाल आने वाला है । बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-1276 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र संख्या-207, चेनारी (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1277 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र संख्या–213, काराकाट)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप जब तक जायेंगे नहीं हम आपकी क्या बात सुनेंगे । पहले अपनी सीट पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा । बैठ जाइये । इतने दिन बढ़िया से चलाये हैं अब दो दिन में क्या लगा है । दो दिन ही तो और है, कल ही भर है न ।

(व्यवधान जारी)

बैठियेगा तब न । कोई भी बात बैठने पर ही होगी । वेल में रहने पर आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी । अपने स्थान पर जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1278 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र संख्या–146, बेगूसराय)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर): आंशिक स्वीकारात्मक है ।

नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगुसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित पथ नगर निगम के स्वामित्व अंतर्गत वार्ड नं0–23 एवं 31 के अंतर्गत स्थित है । उक्त पथ का कुछ पथांश क्षतिग्रस्त है । नगर निगम सशक्त स्थायी समिति/बोर्ड की बैठक में स्वीकृति एवं राशि की उपलब्धता के उपरांत उक्त पथ का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वार्ड सं0–23 एवं 31 के अंतर्गत मस्जिद चौक से कॉलेजिएट कॉलेज होते हुए हरख कोठी तक जाने वाली 1 किलोमीटर सड़क से जुड़ा हुआ है और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या प्राथमिकता के आधार पर इसको बनाना चाहेंगे । क्योंकि बेगूसराय नगर निगम की बड़ी विचित्र स्थिति है । बेगूसराय विधान सभा के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है ।

(व्यवधान जारी)

जो भी विधान सभा की सड़क होगी नगर निगम के लोग उसको करना नहीं चाहते हैं, तो क्या मंत्री जी इसको प्रायोरिटी सूची में डलवाकर करवाना चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग निर्देशित करेगा कि अगले वित्तीय वर्ष 2024–25 में इसको स्वीकृति देने का काम करें ।

श्री कुंदन कुमार : मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1279 (श्रीमती भागीरथी देवी, क्षेत्र संख्या–2, रामनगर (अ0जा0))

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : हस्तानांतरित है महोदय ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष जी, बहुत जरूरी काम...

अध्यक्ष : ट्रांसफर हो गया है बाद में जवाब आयेगा ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या–1280 (श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र संख्या–47, रानीगंज (अ0जा0))

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुतः अररिया जिलांतर्गत रानीगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत हांसा के ग्राम लक्ष्मीपुर के वार्ड नं0–01, कंडल टोला में अवस्थित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है तथा इस योजना से कुल 138 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । इस योजना से लगभग 2.5 कि0मी0 की दूरी पर सेनानी टोला अवस्थित है जो योजना के लाभ से वंचित है तथा यहां एक नई योजना की आवश्यकता है । इसी प्रकार वार्ड सं0–02 में अवस्थित वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है तथा इस योजना से कुल 248 घरों में जलापूर्ति की जा रही है । इस योजना से महादलित टोला लगभग 1 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है जिसमें 82 घर योजना के लाभ से वंचित हैं । यहां भी एक नई योजना की आवश्यकता है । साथ ही, वार्ड सं0–3 में अवस्थित योजना से तिरन मुशहरी टोला लगभग एक कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है । यहां भी एक नई योजना की आवश्यकता है । उक्त छूटे हुए टोलों को आच्छादित करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–1121, दिनांक–22 नवंबर, 2023 के आलोक में निविदा सं0–NIT No-04/2023-24 से निविदा कर दी गयी है । निविदा निष्पादन प्रक्रियाधीन है । चार माह में सभी छूटे हुए टोलों को आच्छादित करते हुए जलापूर्ति चालू कर दी जाएगी ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय,...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । बैठने पर ही न होगा । यहां से कैसे हो सकता है । वेल में आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी । अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, महादलित बसावट में 82 घर पानी से वंचित हैं । हम आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करेंगे, चार महीने का समय दिये हैं कि चार महीने में चालू करवा देंगे । हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि एक समय–सीमा बता दी जाय कि कब तक होगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : चार माह जब बता दिये, तो अब क्या बतायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1281 (डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, क्षेत्र संख्या-118, छपरा)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर): वस्तुस्थिति यह है कि छपरा नगर निगम का प्रत्येक माह राजस्व टर्न ओवर औसतन 38 लाख रुपये है । बिजली का बिल नगर निगम से संबंधित नहीं है । बिहार नगरपालित अधिनियम, 2007 की धारा-128 एवं 228 में नगर निकाय क्षेत्र में घर-घर से अपशिष्ट संग्रह के लिए शुल्क/दंड निर्धारण का प्रावधान है जिसके अनुपालन में छपरा नगर निगम कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-1349, दिनांक-27.07.2023 के आलोक में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय घरों से क्रमशः 100 रू0 एवं 30 रू0 प्रतिमाह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क वसूल किया जाता है । हथुआ मार्केट के अंदर एवं बाहर प्रत्येक दिन झाड़ु दो बार लगाने का कार्य तथा कूड़ा उठाने का कार्य Outsourcing Agency द्वारा किया जाता है । साथ ही, नियमित अन्तराल पर नाले की सफाई एवं उड़ाही का कार्य भी कराया जाता है ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह तथ्य से परे है । जहां तक मुझे जानकारी है कि जो कार्य कराया जा रहा है वह अधूरा है और खासकर हथुआ मार्केट में जो कार्य नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है और जो रिपोर्ट दी गयी है वह वस्तुस्थिति से परे है । इस बात की जानकारी आप सक्षम पदाधिकारी से कराकर देना चाहेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल में खड़े होकर कोई बात सुनी जाती है क्या ? वेल में कही कोई बात नहीं सुनी जायेगी, कोई रेकॉर्ड में नहीं जायेगी । आप लोग अपने स्थान पर जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह वाजिब है । मैं जिलाधिकारी छपरा से पूरे मामले की जांच कराकर रिपोर्ट मांगता हूं ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-1282 (श्री विनय बिहारी, क्षेत्र संख्या-5, लौरिया)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर): (1) उत्तर स्वीकारात्मक है । सुयोग्य श्रेणी के वासभूमिहीन परिवारों को 05 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, पश्चिमी चंपारण (बेतिया) से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार योगापट्टी अंचल अन्तर्गत अभियान बसेरा-2 के तहत राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कुल 77 भूमिहीन परिवारों का वर्तमान में सर्वेक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें 13 परिवारों का अभिलेख भूमि सुधार उप

समाहर्ता, बेतिया के यहां सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा गया है जो प्रक्रियाधीन है । शेष 64 परिवारों हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है एवं अभिलेख तैयार कर 30 दिनों के अंदर सक्षम स्वीकृति हेतु भेज दी जायेगी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो उत्तर आया है वह गलत आया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विनय बिहारी : मेरी बातों में ही मेरा पूरक है । दिलदार नहीं आया, आंखों का काजल चला गया, मेरा नाम कहीं लिखकर, वह पागल चला गया, हम रह गये सूखे सावन की आस में, मुझको बिना भिगोये बादल चला गया ।

अध्यक्ष महोदय, लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम पांच साल का इंतजार नहीं करती है लेकिन...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठिये । अरे बैठियेगा तब न कोई बात होगी । पहले बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, जो आवेदक है उसका अरमान झुलस गया, जिसको पट्टा मिला वह पोजेशन को तरस गया, अब तो मौसम बदले बहुत बात बदली है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, पूरक ।

श्री विनय बिहारी : उम्मीद में बैठे हुए कितने बरस गये ।

अध्यक्ष : आप अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया सवाल करते हैं ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, मेरा सवाल था कि अंचल में कितने भूमिहीन के फॉर्म जमा हुए हैं उनमें कितने की जांच हुई है, जबकि उत्तर मिला है कि 77 लोग हैं । अध्यक्ष महोदय, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको जमीन के अभाव में...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न । पूरक पूछिये ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक सवाल यही है कि कितने लोगों का योगापट्टी अंचल में आवेदन जमा हुआ है और उसमें कितने लोगों को भूमि उपलब्ध करायी गयी यह मेरा सवाल है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मुख्यमंत्री जी का आदेश सदन के अंदर हुआ है...

अध्यक्ष : उत्तर सुन लीजिये न उसके बाद बोलते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था योगापट्टी अंचल अंतर्गत तो उसमें जवाब दिया गया है कि योगापट्टी अंचल अन्तर्गत अभियान बसेरा-2 के तहत राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कुल 77 भूमिहीन परिवारों का वर्तमान में सर्वेक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें 13 परिवारों का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया के यहां सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा

गया है जो प्रक्रियाधीन है । शेष 64 परिवारों हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है एवं अभिलेख तैयार कर 30 दिनों के अंदर सक्षम स्वीकृति हेतु भेज दी जायेगी । ये जो बता रहे हैं कि हजारों लोगों की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग एक बार फिर से दिखवा लेते हैं, हम जांच करवा लेते हैं । ऐसे अंचलाधिकारी को अभिलेख संख्या-10/2023-24 का अभिलेख तैयार कर स्वीकृति हेतु निर्देशित भी किया गया है ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल था । पहला कि 5 डिसमिल जमीन, दूसरा सवाल था कि कितने लोगों ने आवेदन दिया । महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, निर्देश है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न । माननीय मंत्री जी ने कहा जो आंकड़े उनके पास हैं बताया उन्होंने और उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं फिर से उसकी जांच करा लेता हूं । यही तो होता है ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अधूरा रह रहा है । मेरा कहना है कि पति का प्राण लिये जा रहे हैं और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिये जा रहे हैं । जब जमीन ही नहीं दीजियेगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कैसे मिलेगा ? महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो तभी मिलेगा जब जमीन मिलेगी । तो ऐसे भूमिहीन परिवार को चिन्हित करके उनको जमीन ही नहीं दिलायी जायेगी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उन्हें कैसे प्राप्त होगी ?

अध्यक्ष : विनय बिहारी जी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपके कहने पर फिर से वह जांच करायेंगे, तो बात तो हो गयी न । जांच करायेंगे ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, यह अंचलाधिकारी का जवाब नहीं है यह तो जिलाधिकारी महोदय ने जवाब दिया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जिलाधिकारी । माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे । बैठिये ।

श्री विनय बिहारी : ठीक है ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों की जो चिंता है यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो स्पष्ट तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी 12.30 बजे हम लोग बैठने वाले हैं और इसकी समीक्षा कराकर तुरंत कार्रवाई हो, यह निर्देशित कराने का काम करूंगा ।

श्री सत्यदेव राम : आप बोल दिये । मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानते, आपकी बात क्या मानेंगे ?

श्री महबूब आलम : महोदय, कार्रवाई होनी चाहिए...

अध्यक्ष : बैठिये । अब बात खत्म हो गयी । पूरी बात हो गयी । मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन होगा, यह बात साफ-साफ आ गयी है । बैठिये ।

टर्न-4/मुकुल/29.02.2024

तारांकित प्रश्न संख्या-1283 (श्री फते बहादुर सिंह, क्षेत्र संख्या-212, डिहरी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : समाहर्ता, पटना के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि वादी प्रेमलता देवी द्वारा मौजा-काजीपुर, थाना नं0-137, रकबा-6.25 डी0 पर वाद लाया गया है ।

वादी प्रेमलता देवी के द्वारा बिहार भू-विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत वाद लाया गया है, जिसमें भूमि विवाद वाद सं0-58/2023-24 में सुनवाई प्रक्रियाधीन है । प्रस्तुत वाद में दिनांक-22.02.2024 को श्री धीरज कुमार, पिता-स्व0 रमेश चन्द्र गुप्ता, साकिन-जनक किशोर रोड, थाना-कदमकुआं, जिला-पटना द्वारा मध्यक्षेपक बनने हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया है । जिसकी प्रति वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को हस्तगत कराया गया । जिसकी अगली सुनवाई की तिथि दिनांक-29.02.2024 की निर्धारित है ।

भूमि विवाद वाद संख्या-58/2023-24 में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पूर्ण बहस के उपरांत प्रस्तुत वाद में नियमानुसार आदेश पारित कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । प्रस्तुत वाद में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसका निष्पादन कब तक हो जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिंहा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जवाब में स्पष्ट बताया गया है कि अगली सुनवाई की तिथि आज ही के दिन तय की गई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तारीख तय है आज के आज ही इस पर निर्णय हो जायेगा ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, एक समय दे दिया जाय कि इतना समय तक हो जायेगा । महोदय, लगभग दो साल से तारीख पर तारीख ही पड़ रहा है । इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए एक समय सीमा दे दिया जाय कि कब तक इसका निष्पादन हो जायेगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भूमि विवाद वाद संख्या–58/2023–24 में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पूर्ण बहस के उपरांत प्रस्तुत वाद में नियमानुसार आदेश पारित करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी और अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायेगा । माननीय सदस्य के विषय को हमलोग गंभीरता से ले रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1284 (श्री राम सिंह, क्षेत्र संख्या–4, बगहा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बगहा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बगहा नगर परिषद्, क्षेत्र में प्रश्न में वर्णित स्थल पर शवदाहगृह निर्माण हेतु नगर परिषद्, बगहा के विभिन्न पत्रों के माध्यम से अंचल कार्यालय, बगहा–01 एवं अंचल कार्यालय, बगहा–2 से अनापत्ति की मांग की गई थी वर्तमान में नारायणपुर वार्ड संख्या–8 में शवदाहगृह निर्माण हेतु अंचल कार्यालय, बगहा–02 द्वारा भूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया गया है जिसके आलोक में नगर परिषद्, बगहा के आगामी बोर्ड की बैठक में शवदाहगृह निर्माण योजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु रखा जायेगा ।

अध्यक्ष माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है । आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कुछ पूछना चाहता हूं कि जो पदाधिकारी के द्वारा माननीय मंत्री के द्वारा मेरे पास उत्तर आया है वह उत्तर गलत है । मैंने शवदाहगृह का प्रश्न किया था, एक के बारे में कहा गया है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल गया है लेकिन दो का भेग में दिया गया है, वह भेग में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह किस तारीख को अंचल में गया गया और उसका अभी तक क्यों नहीं आया । इसका उत्तर में रहना चाहिए, सीधे गोल–मटोल जवाब दे दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या पूछ रहे हैं, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं तीन जगहों पर शवदाहगृह के निर्माण कराने के बारे में पूछा था । एक जगह के लिए जवाब में दिया गया है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र आ गया है । लेकिन दो जगहों के लिए जवाब में दिया गया है कि अभी तक अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं आया है, उसको अंचल में भेजा गया है लेकिन अंचल में कब भेजा गया है वह तारीख इसमें नहीं दिया गया है यह त्रुटि है । जवाब में अगर तारीख रहता तो ज्यादा अच्छा होता ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या जानना चाहते हैं ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि वहां पर कब तक शवदाहगृह बनेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसके लिए सरकार चिंतित भी है । शवदाहगृह वहां पर बनना चाहिए, मैं निर्देशित करूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में इस कार्य को शुरू करके जल्द पूरा किया जाय ।

श्री राम सिंह : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1285 (श्री अशोक कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या–97, पारू)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1286 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या–166, जमालपुर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । आप इनका एक बार उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, जमालपुर के वार्ड सं0–02, 03, 08, 18 एवं 33 में आंशिक घरों में जलापूर्ति हो रही है । वाटर प्रेशर कम रहने के कारण कुछ घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है जिसके लिए 6 अदद पम्प एवं पम्प हाउस के अधिष्ठापन हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : अजय जी, आप जो कह रहे हैं वही हो रहा है ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं । हम जो कह रहे हैं वह नहीं हो रहा है । विभाग ने घूमा–फिराकर जवाब दिया है । अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि 02, 03, 08, 18 एवं 33 ये जो वार्ड हैं इनमें पानी आंशिक जा रहा है और जो छः बोरिंग कराने की बात है वह वार्ड नं0–09, 11, 12 इस तरह के 5–6 वार्ड के लिए अलग से प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि आपका जो डिजाइन है यह स्टेन कॉस्ट के लिए था, 200 स्टेन कॉस्ट के लिए था लेकिन जब वर्ष 2017 में आपने इसको हर घर के नल से जोड़ने की बात कि तो आपका डिजाइन नहीं बदला और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वह 5 एम0एल0डी0 का है जबकि पूरे शहर को पानी देने के लिए 15 एम0एल0डी0 पानी की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं

कि आपका और सरकार का जो दावा है कि हर घर के लिए जल-नल हम दे देंगे तो जमालपुर नगरपालिका के लिए जो यह अव्यवस्था है, इससे आपके वादे की कलई खुल रही है तो आप उसको कब तक पूरा करेंगे और माननीय मंत्री जी हमारे जिले के....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका हो गया, अब आप बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी तो आप ही कल तक पिला रहे थे ललित जी, ये आप ही से जुड़ा हुआ मामला था इसके लिए हमको मत फंसाइये । अगर आपको जानकारी देना है तो मैं बता रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को तीन तरह से किया गया था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की एक व्यवस्था वहां पर जलमिनार के माध्यम से किया गया था, कुछ पाइप लाइन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से चलाये जा रहे थे । कुछ घरों को पानी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है । अभी तक वहां पर लगभग 600 से अधिक घरों को पानी मिल रहा है, लेकिन ठीक है माननीय सदस्य की चिंता है कि सभी घरों को पानी मिले, हम इसके लिए पूर्ण रूप से दोनों विभाग के साथ संयुक्त बैठक कराकर जांच करवा लेते हैं और यथाशीघ्र वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में जो प्राक्कलित राशि होगी उसको स्वीकृत किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है उसकी क्षमता बढ़ाने का, उसको भी आप ध्यान में रखियेगा ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो मैंने कहा कि पुनरीक्षण का जो प्राक्कलन आयेगा उसपर हमलोग निर्णय लेंगे ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 600 घरों को पानी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए न । आपलोग आपस में बात करते ही रहते हैं । अब आप बैठ जाइये हो गया ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1287 (श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-137, मोहिउद्दीननगर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : स्वीकारात्मक ।

आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्यस्तर पर संचालित ''अभियान बसेरा'' कार्यक्रम के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अबतक कुल 1,14,811 सर्वेक्षित वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों में से कुल 96,594

परिवारों को विभिन्न स्रोतों की भूमि बन्दोबस्त किया गया है । इस कार्यक्रम के अधीन बिहार गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत अबतक कुल 7,467 सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि आवंटित/बन्दोबस्त किया गया है।

सरकार स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री राजेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है लेकिन मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । मेरा सवाल यह है कि गरीब-गुरबा के लिए जो आपने तय किया था, भूमिहीनों को बसाने के लिए आपने जो वर्ष 2012-13 के आसपास एम0वी0आर0 (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय किया था, आज वर्ष 2024 चल रहा है। सरकार जो तय की थी उस रेट में जमीन मिल नहीं पाता है तो भूमिहीनों को दिक्कत होती है । तो इसके लिए सरकार क्या सोच रही है, इसमें सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट तौर पर दिया गया है और अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । विचार होगा तो इसको गंभीरता से लिया जायेगा ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास गरीबों के लिए इस तरह का कुछ नहीं है क्या । लेकिन हम यह चाह रहे हैं कि सरकार इसको करे, चूंकि आज वर्ष 2024 चल रहा है । वर्ष 2012-13 में जिस जमीन की रेट थी वह वर्ष 2024 में बहुत बढ़ चुकी है तो भूमिहीनों के लिए जमीन ही नहीं मिलता है । इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर थोड़ा विचार करे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके सुझाव को गंभीरता से लिया जायेगा ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : इसका बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया गया है, अब इसमें बचा क्या है ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1288 (श्री देवेश कान्त सिंह, क्षेत्र संख्या-111, गोरेयाकोठी)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देवेश कान्त सिंह जी । आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जवाब नहीं पढ़ पाये हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । जवाब पढ़ दीजिए ।

अब तो हो गया है, हम आगे बढ़ गये हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक ।

3. स्वीकारात्मक ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बसंतपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत, बसंतपुर में सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि का चयन किया जा रहा है और माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि ये इसमें सहयोग करें, जहां उपयुक्त जमीन उपलब्ध होता है वहां पर सम्राट अशोक भवन बनाया जायेगा ।

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन सबसे पहले वहां पर आवश्यक है कि हमारे यहां पर कार्यपालक पदाधिकारी पदस्थापित ही नहीं हैं । अभी तक कहीं न कहीं से जोड़कर-खींचकर काम चल रहा है आज के दिन में । बी0डी0ओ0 प्रभार में हैं जिनको वित्तीय अधिकार भी नहीं है इसके चलते नगर पंचायत कर्तव्यविहीन हो गया है, कोई काम नहीं कर पा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों चीजों को दिखवा लेता हूं, एक तो पदाधिकारी कैसे वहां पर जायें और नहीं तो वित्तीय अधिकार उनको वहां पर मिले ताकि विकास के कार्य वहां पर हो सकें ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मैं नियमापत्ति पर हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल में कौन सा नियमापत्ति है ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरी बातों को सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिए ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं तो क्या माननीय सदस्य और मंत्री के बीच में ही उसका सवाल-जवाब होगा या सदन के और सदस्य उसमें हिस्सा लेंगे ?

अध्यक्ष : ले सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ गये थे ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, समय पर माननीय सदस्य ने सवाल उठाया लेकिन आपने उनको समय नहीं दिया था ।

(व्यवधान)

महोदय, यह आपत्तिजनक बात है ।

टर्न–5/यानपति/29.02.2024

श्री सत्यदेव राम (क्रमशः) : महोदय, समय नहीं देना है तो कह दीजिए बाहर चले जायेंगे, यह नियमापत्ति हमारी है ।

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या–1289 (श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, क्षेत्र संख्या–102, कुचायकोट)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं पास में रखेंगे । बोलिये देवेश जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1290 (श्री देवेश कान्त सिंह, क्षेत्र संख्या–111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के कुल–100 अधिकारियों को विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड (वेतन स्तर–11) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान के साथ कार्यकारी प्रभार दिया गया है ।

वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित है । तथापि, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर कार्यकारी प्रभार प्रदत्त बिहार राजस्व सेवा के उक्त अधिकारियों के पदस्थापन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री देवेश कान्त सिंह : माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि काफी सी0ओ0 को डी0सी0एल0आर0 में प्रमोट किया गया है, वैसे सी0ओ0 लोगों को डी0सी0एल0आर0 में अगर पदस्थापना की जाती है तो उनके अनुभव का लाभ मिलेगा । नहीं तो अभी जो लोग पोस्टेड हैं.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, पूरक ।

श्री देवेश कान्त सिंह : उसी का पूरक पूछ रहे हैं, पूरक यह है कि बासा के पदाधिकारी पोस्टेड हैं जिनको खाता और खेसरा समझ में नहीं आता है तो अगर

डी0सी0एल0आर0 पोस्ट कर दिया जायेगा तो उसकी समझदारी का लाभ हमलोगों को मिलेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं तो बिहार राजस्व सेवा के उक्त अधिकारियों के पदस्थापन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सभी सदस्यों के अधिकार संरक्षित हैं लेकिन नियम-कानून के अनुसार । श्री मनोज कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1291 (श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-16, कल्याणपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान)

श्री पंकज कुमार मिश्र ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

तारांकित प्रश्न संख्या-1292 (श्री पंकज कुमार मिश्र, क्षेत्र संख्या-29, रून्नीसैदपुर)

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पदोन्नति की समय-सीमा निर्धारित कर उच्चतर पद का प्रभार वेतन सहित कार्रवाई मंत्री जी कबतक करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग । श्री पंकज मिश्र ।

(व्यवधान)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : नहीं-नहीं, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है, आपलोग जान-बूझकर माहौल बना रहे हैं । आपलोगों से आग्रह है अपनी जगह पर बैठें, आप अपनी बात पूछें, सरकार जवाब देना चाहती है, इसमें दिक्कत कहां है । देखिए आप एक प्रश्न कर रहे हैं ऐसा नहीं है, आपकी पूरी बात का सरकार जवाब देना चाहती है, और सबेरे से आपको दिया जा रहा है । नहीं, ऐसा थोड़े होता है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल में से कोई बात नहीं सुनी जायेगी, अपने स्थान पर जाकर बैठकर बोलिये । पंकज जी का प्रश्न है ।

(व्यवधान जारी)

कोई प्रॉपर्टी नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए । आसन के प्रति गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करिये । संसदीय भाषा का इस्तेमाल कीजिए । नहीं कर सकते हैं आक्षेप आप । बिल्कुल नियम-कानून का पालन किया जायेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : मैं तो कहता हूं बैठिए, अपने स्थान से अपनी बात कहिए । कोई बात नहीं सुनी जायेगी, अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिए । सदन चलेगा नियम कानून से, कार्य संचालन नियमावली से चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा ।

(व्यवधान जारी)

चलिये, पंकज जी का जवाब दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी, पंकज मिश्र के प्रश्न का जवाब दीजिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 के आलोक में विभाग की स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा उपरांत कुल 44 राजपत्रित पदाधिकारी एवं 1073 अराजपत्रित कर्मियों को प्रोन्नति के पदों पर उच्च पद पर कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित दिया जा चुका है । पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदों का पद सोपान चिन्हनकरण किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पद सोपान के चिन्हनकरण पश्चात् उक्त संवर्ग के अनुशंसा पदाधिकारी को उच्च स्तर के पद का प्रभार वेतनमान दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हम समय-सीमा माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि एक समय-सीमा बता देते तो बड़ी कृपा होती ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : जल्द से जल्द इसको करवा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : जल्द करेंगे ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1293 (श्री छत्रपति यादव, क्षेत्र संख्या-149, खगड़िया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1294 (श्री अजय कुमार, क्षेत्र संख्या-138, विभूतिपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्रीमती भागीरथी देवी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1295 (श्रीमती भागीरथी देवी, क्षेत्र संख्या-2, रामनगर (अ0जा0))

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, पूछती हूं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । पश्चिम चंपारण जिलांतर्गत प्रखंड गौनाहा के लछनौता पंचायत के वार्ड संख्या-1 में अवस्थित ग्राम एकडेरवा में नल-जल योजना पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में कार्यान्वित की गई थी । वर्तमान में पी0एच0ई0डी0 द्वारा चालू अवस्था में हस्तांतरित कर लिया गया है एवं लगभग 195 घरों में जल ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा है एवं लगभग 80 घरों में पाईप बिछाना बाकी है तथा गृह संयोजन भी बाकी है जिसके लिये छूटे हुए टोलों के तहत प्राक्कलन तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्रीमती भागीरथी देवी : कब तक ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : जल्द से जल्द की जायेगी ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, बहुत दिन से पानी, मतलब महादलित की जगह है ।

अध्यक्ष : जल्दी करवा दीजिए मंत्री जी ।

श्रीमती भागीरथी देवी : मतलब पिछली सरकार आई थी उसने तो कुछ सुना ही नहीं, कम से कम महादलित का उद्धार करवा दिया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जल्द से जल्द और आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, यह आसन जितनी निरपेक्षता के साथ, मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में वहां बैठा था महोदय, हमारी तरफ तो आसन की ओर से देखा भी नहीं जाता था महोदय । ध्यानाकर्षण में आज आप जिस तरह से एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का जितनी पारदर्शिता से आप अवसर दे रहे हैं, ये लोग सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं महोदय और आसन की प्रति इस तरह का भाव व्यक्त कर रहे हैं जैसा यह बीज बोये थे उसके हिसाब से होता तो लगता है कि ये कितना आपा खोते लेकिन आप जिस पवित्रता और पारदर्शिता से कर रहे हैं उसके बाद सदन के अंदर इस तरह का व्यवहार अलोकतांत्रिक इनकी मानसिकता साफ झलकती है महोदय ।

अध्यक्ष : जिसकी जैसी सोच । श्री सुरेन्द्र मेहता ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1296 (श्री सुरेन्द्र मेहता, क्षेत्र संख्या-142, बछवाड़ा)

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, जवाब नहीं देखे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री कृषि विभाग । सुरेन्द्र मेहता जी का जवाब है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह हस्तांतरित हो गया है जल संसाधन विभाग में ।

अध्यक्ष : दूसरे विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1297 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, क्षेत्र संख्या-133, समस्तीपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1298 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र संख्या-6, नौतन)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया अन्तर्गत प्रखंड नौतन एवं बैरिया के 37 पंचायतों में वित्तीय वर्ष-2014-15 एवं 2015-16 में स्वीकृत मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 370 चापाकलों का अधिष्ठापन किया गया है । जिसमें से सभी चापाकल चालू अवस्था में है । विदित हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन दोनों प्रखंडों में कुल 592 चापाकलों का साधारण मरम्मती कराकर चालू कराया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष जी, जवाब से हम संतुष्ट हैं, मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और साथ-साथ आपको भी धन्यवाद देते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1299 (श्री छोटेलाल राय, क्षेत्र संख्या-121, परसा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1300 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र संख्या-194, आरा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : (1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में सभी 142 पुराने नगर निकायों में 98 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरे का उठाव किया जा रहा है एवं 95 प्रतिशत कचरे का वर्गीकरण किया जा रहा है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में 142 पुराने नगर निकायों में 29 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है । सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिये 35 नगर निकायों में 51 एवं गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिये 90 नगर निकायों में 188 यूनिट कम्पोस्ट पीट कार्यरत है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिये 112 निकायों को कम्पोस्ट पीट एवं मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एम0आर0एफ0) अधिष्ठापित करने की कार्रवाई की जा रही है एवं इसके लिये राशि भी उपलब्ध करा दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त है । पूरक यही है, उत्तर जो है वह करीब-करीब ठीक है महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं उससे सहमत नहीं हूं परंतु एक बात यही पूछना है कि यह जो कम्पोस्ट पीट है वह बनाने का और प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है कहीं, इसीलिए मैं, आरा में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की योजना पिछले पांच-छः वर्षों से है, आप जानते हैं लेकिन अभीतक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बन सका है तो यह जो कचरा है उसका वर्गीकरण करने के बाद भी उसका कोई उपयोग नहीं होता ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मेरा पूरक यही है कि प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर के और कम्पोस्ट पीट को बनाकर के यह काम करना चाहती है सरकार ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वहां पर प्लांट लगे और वहां पर यूनिट पूरी तरह काम करे, मैं इसको पूर्ण रूप से दिखवा लेता हूं और यथाशीघ्र वहां पर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1301 (श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-201, डुमरांव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-6/अंजली/29.02.2024

तारांकित प्रश्न सं0-1302 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र सं0-208, सासाराम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1303 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1304 (श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-9, सिकटा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1305 (श्री सिद्धार्थ सौरव, क्षेत्र सं0-191, बिक्रम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0-1306 (श्री अशोक कुमार, क्षेत्र सं0-132, वारिसनगर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित शैक्षणिक पशु चिकित्सालय अपने निर्धारित समय सुबह 9:00 बजे से रात के 8:00 बजे तक अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के साथ कार्य करता है जिसमें अल्ट्रासाउन्ड, एक्स-रे तथा पैथोलॉजिकल जॉच की सुविधा सभी छोटे-बड़े जानवरों तथा पक्षियों के रोग उपचार हेतु उपलब्ध रहती है । आपातकालीन सेवा 24X7 घंटे उपलब्ध है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पशु चिकित्सालय में नाममात्र का शुल्क लिया जा रहा है । इस संबंध में आज तक किसी भी पक्षीपालक अथवा पशुपालक के द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया गया है ।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सालय में विभिन्न पशु पक्षियों के विभिन्न इलाज के दर का निर्धारण संबंधित विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है ।

3. उपर्युक्त खंडों में उत्तर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अशोक कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में आया है कि नाममात्र की फीस ली जाती है, शुल्क लिया जाता है । नाममात्र तो पहले एक-दो रुपया लिया जाता था अभी सैकड़ों के हिसाब से लिया जाता है तो मैं चाहता हूं कि पशु पक्षी के इलाज के लिए फ्री में इलाज हो, मुफ्त में इलाज हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लेता हूं, जांच कराकर समीक्षोपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री महा नंद सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-1307 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र सं0-214, अरवल)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1308 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र सं0-208, सासाराम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1309 (श्री इजहारूल हुसैन, क्षेत्र सं0-54, किशनगंज)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, डॉ0 सी0एन0 गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न सं0-1310 (डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, क्षेत्र सं0-118, छपरा)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि छपरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वेंडिंग जोन निर्माण हेतु राजेन्द्र सरोवर एवं भिखारी ठाकुर चौक के पास मुख्य सड़क के किनारे स्थल का चयन किया गया था ।

राजेन्द्र सरोवर स्थित वेंडिंग जोन (मुख्य सड़क के किनारे) डबल डेकर पुल निर्माण के फलस्वरूप पुल के निर्माण कार्य में चला गया है, इसके कारण वेंडिंग जोन का निर्माण कराने में आपत्ति दर्ज की गई है एवं बिहार राज्य पुल निर्माण द्वारा वेंडिंग जोन बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है ।

भिखारी ठाकुर चौक पर प्रस्तावित वेंडिंग जोन (जो मुख्य सड़क के किनारे है), पथ निर्माण विभाग का है । पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है । पथ निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण कार्यारम्भ नहीं हुआ है ।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत भूमि का अभाव है, जिसके कारण वेंडिंग जोन निर्माण की प्रक्रिया बाधित है ।

वेंडिंग जोन बनाने हेतु अंचलाधिकारी, सदर, छपरा से सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है । भूमि की उपलब्धता होने पर वेंडिंग जोन का निर्माण कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : महोदय, प्रश्न का जो जवाब दिया गया है सरकार के माध्यम से उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । सरकारी बाजार और गुदरी बाजार छपरा की दो बड़ी बाजारें हैं और वहां जमीन की उपलब्धता है, सही प्रयास की आवश्यकता है । यह नगर निगम बहुत वर्ष पुराना है, नगर पंचायत के रूप में काम कर रहा था, नगरपालिका के रूप में कार्य कर रहा था, ऐसा लगता है कि सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है, अगर प्रयास सही हो तो इसका रिजल्ट सही आएगा और वेंडिंग जोन बनेगा ऐसी हमें उम्मीद है । मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इसमें सही दिशा में प्रयास किया जाय तो यह कार्य हो सकता है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, वाजिब है मैंने ही उसको नगर परिषद से नगर निगम में परिवर्तित किया था । आगे भी इन्होंने जो सुझाव दिया है कि कहीं पर जमीन उपलब्ध है इनका सहयोग लेकर यथाशीघ्र वहां पर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री सुधाकर सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-1311 (श्री सुधाकर सिंह, क्षेत्र सं0-203, रामगढ़)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1312 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1. यह विषय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए आंकड़े सुलभ नहीं है ।

2. विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई ससमय पूर्ण की जाती है ।

बिहार वित्त नियमावली के नियम-440 के आलोक में सरकारी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से किया जाना है । उक्त निदेश राजस्व विभागीय पत्रांक-2021, दिनांक-08.12.2006 द्वारा परिचारित है । सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए राजस्व विभागीय संकल्प-359(6)/रा0, दिनांक-19.05.2014 द्वारा 3.00 एकड़ तक अन्तर्विभागीय नि:शुल्क हस्तांतरण की शक्ति समाहर्त्ता को एवं 3.00 एकड़ से अधिक 5.00 एकड़ तक प्रमंडलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित की गई है ।

3. उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है वह मेरे प्रश्न के अनुकूल नहीं है बल्कि उससे अलग है । महोदय, मेरा प्रश्न है अनापत्ति प्रमाण पत्र से कि जो हमलोग या विभिन्न विभाग के द्वारा भवन निर्माण और बाकी की प्रक्रिया की जाती है तो उसमें अनापत्ति प्रमाण देने में जो विलंब हो रहा है उसके संबंध में था और उत्तर आया है कि जमीन हस्तांतरित करने, इस विभाग से उस विभाग करने, बाकी चीज समझाई गई है इस उत्तर में, तो मेरे प्रश्न का हल तो इसमें नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के आलोक में इसका उत्तर सही-सही बताना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभाग ने अगर जो स्पष्ट नहीं किया है माननीय सदस्यों का तो इसको कल फिर से जवाब दे दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : स्पष्ट करके इनको जवाब भेज दीजिएगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, एक मिनट । आठ विभाग की चर्चा हमने की है जमीन के संबंध में जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित है, उसको समीक्षोपरांत, मेरा उत्तर तो दे ही देंगे, इसको कब तक अनापत्ति प्रमाण दिलाकर इन भवनों को जनहित में बनावाने का कष्ट करेंगे ।

अध्यक्ष : समीक्षा करके ही न जवाब देंगे आपको ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं कब तक पूछ रहा हूं ।

'ग'- तारांकित प्रश्न सं0-1313 (श्री रामविलास कामत, क्षेत्र संख्या-42, पिपरा)

अध्यक्ष : श्री रामविलास कामत । उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिला में पिपरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर, पथरा, निर्माण, थुमहा, पिपरा, महेशपुर थरबिच पुर्नवास के मुख्यालय बाजार में शुद्ध पेयजल हेतु सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट बनाया गया है एवं चालू है ।

पिपरा विधान सभा के प्रखंड पिपरा के गांव थुमहा के मुख्य बाजार में 15वीं वित्त मद से शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण कार्य प्रगति पर है । पथरा एवं महेशपुर के मुख्य बाजार में शौचालय निर्माण हेतु 15वीं वित्त मद से प्रस्ताव लिया गया है एवं पिपरा बाजार वर्तमान में नगर पचांयत के अंतर्गत अवस्थित है । पिपरा विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड किशनपुर मुख्य बाजार में वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग मद से पंचायत समिति किशनपुर को प्राप्त अनुदान से शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलिए ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो निर्माण दिया गया है वह निर्मली पंचायत है, निर्मली बाजार है, थरबिट्टा बाजार है और जितने जगहों का इसमें जिक्र किया गया है अधिकांश जगहों पर मैं जाता हूं और बाजार है, कहीं पर भी पीने के पानी का स्टैंड नहीं बना हुआ है । हमको लगता है कि इसको एक बार दिखवाने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार इसको दिखवा लीजिएगा ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : ठीक है ।

श्री रामविलास कामत : महोदय...

अध्यक्ष : ठीक है आप बैठिये । श्री अजय यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-1314 (श्री अजय यादव, क्षेत्र सं0-233, अतरी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1315 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187, मनेर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1316 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-166, जमालपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1317 (श्री अमर कुमार पासवान, क्षेत्र सं0-91, बोचहाँ (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1318 (श्री दिलीप राय, क्षेत्र सं0-26, सुरसंड)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री नारायण प्रसाद जी । नारायण प्रसाद जी, आपका नंबर आ रहा है तो आप बैठे हुए हैं, बोलिए । मतलब आपको अनुमान भी नहीं था कि आपका नंबर आ सकता है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1319 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र सं0-6, नौतन)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (मुद्रित उत्तर) : 1. उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि अंचल नौतन के ग्राम पंचायत राज बरदाहा के वार्ड नंबर-13 में नट जाति के 10 भूमिहीन परिवार अवस्थित थे, जिनमें से 03 परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास आवंटित है, इनमें से 02 परिवार अपने आवंटित प्रधानमंत्री आवास में निवास कर रहे है एवं शेष सभी फूस की झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं ।

2. उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।

3. उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट है । शेष 07 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित करते हुए अभियान बसेरा-2 के अन्तर्गत अतिशीघ्र भूमि आवंटित कर पर्चा उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है पूरक पूछिये ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष जी, उत्तर को हमने पढ़ लिया है । 7 का बाकी है, जो बाकी है है उसको जल्दी पूरा कराया जाय, घर उनलोगों का, नट का घर है । यही हम सरकार से चाहेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, जरूर कराया जाएगा । श्री शकील अहमद खाँ ।

तारांकित प्रश्न सं0-1320 (श्री शकील अहमद खाँ, क्षेत्र सं0-64, कदवा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1321 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र सं0-226, शेरघाटी)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1322 (डॉ रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1323 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र सं0-48, फारबिसगंज)

अध्यक्ष : श्री विद्या सागर केशरी । उत्तर मिला है न आपको ?

श्री विद्या सागर केशरी : नहीं मिल पाया है श्रीमान् ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फारबिसगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित स्थल राजेन्द्र चौक से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक में विपुल विश्वास के घर से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड के साधारण बैठक दिनांक-12.02.2024 को स्वीकृत किया गया है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं नाला निर्माण कार्य का आगामी बैठक में प्रस्ताव रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

उक्त स्थल राजेन्द्र चौक से अम्बेडकर चौक तक में जनार्दन यादव (पूर्व विधायक) के घर से अम्बेडकर चौक तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड के साधारण बैठक दिनांक-12.02.2024 को स्वीकृत किया गया है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं नाला निर्माण कार्य का आगामी बैठक में प्रस्ताव रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, दूसरा तो ले लिया गया है लेकिन राजेन्द्र चौक से लेक एकेडमी होकर के पंचमुखी हनुमान मंदिर तक जाना है वहां तक नहीं लिया गया है तो वह और राजेन्द्र चौक से गोयल विद्यालय होकर अम्बेडकर चौक जाने वाला जो रास्ता है उन दोनों को श्रीमान् से चाहेंगे कि राज्य योजना से उसका क्रियान्वयन करवा दिया जाय, यही आग्रह हम चाहेंगे आदरणीय मंत्री जी से ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निर्देशित पहले करता हूं यदि वहां कोई दिक्कत होगी तो जरूर सरकार विचार करेगी ।

श्री विद्या सागर केशरी : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-1324 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र सं0-67, मनिहारी (अ0ज0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1325 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र सं0-146, बेगूसराय)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक । नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित पथ नगर निगम, के स्वामित्व अंतर्गत वार्ड नं0-23 में स्थित है । उक्त पथ का कुछ पथांश क्षतिग्रस्त

है । नगर निगम सशक्त स्थायी समिति/बोर्ड की बैठक में स्वीकृति एवं राशि की उपलब्धता के उपरांत उक्त पथ का पुनर्निर्माण कराया जाएगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न है वार्ड संख्या-23 अंतर्गत विष्णु सिनेमा चौक से सुभाष चौक तक जाने वाली 1 किलोमीटर सड़क से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस वित्तीय वर्ष में इसको करवा देंगे ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निर्देशित करूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में छठा स्टेट फाइनेंस के माध्यम से जो राशि उपलब्ध होगी उसके माध्यम से कराया जाएगा ।

श्री कुंदन कुमार : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं । अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-29 फरवरी, 2024 के लिए माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री मोहम्मद अनजार नईमी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गए)

श्री अजीत शर्मा : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब तो आगे बढ़ गए । आप लेट से आ रहे हैं । श्री अजय कुमार । अजय जी पढ़ियेगा । बोलिये ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, साखमोहन शाखा द्वारा 2400 किसानों को किसान क्रेडिट ऋण दी गई है । जिले में प्रति वर्ष बाढ़-सूखाड़ आने से किसान ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हैं।

मैं सरकार से किसानों का ऋण माफ करने की मांग करता हूं ।

टर्न–7/आजाद/29.02.2024

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्यकर्मियों की तरह संविदाकर्मियों को भी त्योहारों के अवसर पर माह के पूर्व वेतन भुगतान करने, विभिन्न कार्यालयों में संविदा परिचारियों का मानदेय 30हजार रू0 मासिक एवं ई0पी0एफ0 से आच्छादित करने की मांग करता हूँ ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्रन्तर्गत कटोरिया प्रखंड में नावाडीह, बगडुब्बा के पास कुरार नदी पर पुल निर्माण होने से भोरसार–भेलवा, तरगछा, दमोदरा एवं कटियारी पंचायत के साथ झारखंड बोर्डर के अनेकों गांव जुड़ेंगे।

अत: सरकार से उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूँ ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला के चनपटिया प्रखंड के चुहड़ी बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई शाखा नहीं है, जिससे व्यापारियों एवं आसपास के पंचायत के लोगों को परेशानी होती है ।

अत: चुहड़ी बाजार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा खोलने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल शहर में अर्न्राष्ट्रीय सीमा के वजह से भीड़–भाड़ रहती है । रक्सौल में गुजरने वाली एन0एन0–28 सड़क पर रेहणी–पटरी, ठेला लगाने वालों से जाम की समस्या बनी रहती है । मैं रक्सौल शहर में रेहणी–पटरी एवं ठेला लगाने के लिए एक अलग जगह उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ ।

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बरारी विधान सभा के कुरसेला प्रखंड के पत्थर टोला–खेरिया–मजदिया एवं कमलाकस्ही तक गंगा, कोशी नदी से काफी कटाव हो रहा है । कटाव होने से भविष्य में गांव गंगा में विलिन हो जायेगा।

अत: उक्त स्थल पर कटावरोधी कार्य एवं स्पर यानी ठोकर की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अन्तर्गत हायाघाट एवं बहेड़ी प्रखंड के अधिकांश विद्यालय भूमिहीन एवं भवनविहीन है, जिसके कारण छात्र–छात्रायें बरामदे एवं खुले आसमान में पढ़ाई करने को मजबूर हैं ।

अतः सरकार उक्त प्रखंड के भूमिहीन एवं भवनविहीन विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराकर भवन निर्माण करावें ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत की मुखिया सबा परवीन उर्फ सबा खातून जिसके पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र संख्या-1956549 और नेपाल के मतदाता पहचान पत्र संख्या-1874108 क्रमांक-2321 दोनों देश की नागरिकता है । इस मामले की उच्चस्तरीय जॉच की मांग करता हूँ ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा-1 प्रखंड के ग्राम- चौबरिया से मठिया तक सियराहा नाला की सफाई नहीं होने के कारण 5 पंचायतों में लगभग 500 एकड़ भूमि जल-जमाव का शिकार है ।

अतः सियराहा नाला की सफाई हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर केग गोबरहिया दोन में प्रखंड कार्यालय जनहित में अतिआवश्यक है ।

मैं सरकार से मांग करती हूँ कि गोबरहिया दोन में प्रखंड कार्यालय खोली जाय।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आजमनगर प्रखंड के शितलमणि पंचायत में लंबे समय से धवत धमाई कोल पुल की निर्माण की मांग सरकार से करती हूँ ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधान सभा अन्तर्गत हरदा कोलाशी जाने वाली पथ में चंदवा पंचायत के कुम्हड़ा टिकरिकीपाड़ा से महेशवा गांव तक अवशेष भाग में सड़क का निर्माण कार्य पथ की लम्बाई 1 कि0मी0 अद्धनिर्मित है ।

अतएव मैं अद्धनिर्मित पथ को पूर्ण कराने की मांग सरकार से करती हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र कुमार, वर्तमान प्रधानाचार्य जैन कॉलेज आरा द्वारा महाराजा कॉलेज आरा में प्रधानाचार्य रहते (01.09.2017-22.08.2022) वित्तीय अनियमितता की गई । कॉलेज जॉच समिति ने पाया कि 2 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की गई । किसी स्वतंत्र एजेंसी से जॉच कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के जयनगर वस्ती पंचायत में बीस वर्ष पूर्व पंचायत समिति के मद से निर्मित नाला शुभाष चौक से मिडिल स्कूल तक ध्वस्त हो चुका है । शीघ्र नाला निर्माण कराकर जल जमाव से मुक्ति दिलाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा अन्तर्गत तकनिकी शिक्षा हेतु किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । विधान सभा अन्तर्गत सरकारी आई0टी0आई0 कॉलेज के खुल जाने से बच्चे एवं बच्चियाँ स्कील्ड होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं ।

अतः सरकार से सरकारी आई0टी0आई0 कॉलेज खोलने का मांग करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत कचहरीपुर ग्राम में 2019 से झीम नदी पर बन रहे सुलिस गेट निर्माण में विलम्ब होने से किसानों में आक्रोश है ।

अतः सोनबरसा प्रखंड के ग्राम कचहरीपुर में बन रहे सुलिस गेट का निर्माण अविलम्ब कराने की मांग सरकार से करती हूँ ।

श्री अरूण कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड केमठिया बरियारपुर में बुढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण कराने से बरियापुर उत्तरी पंचायत के जनता को प्रखंड कार्यालय आने में और मोतीपुर प्रखंड के जनता को पूर्वी चम्पारण एवं शिवहर जिला जाने में काफी सुविधा होगी ।

सरकार से पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी सेवा में प्रोन्नति पर रोक है । एस0सी0/एस0टी0 वर्ग को छोड़कर सामान्य वर्ग को अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नत कर दिया गया । मैं सरकार से उक्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 वर्ग के लोगों को भी प्रोन्नत करने की मांग करता हूँ।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत घनेश्वरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं रहने से लोगों को बीमार पड़ने पर इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ।

अतः घनेश्वरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त्त राज्यकर्मी का दर्जा देने एवं उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण नीति को लागू करने की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए नाला का निर्माण आज तक नहीं हो पाने की वजह से जहानाबाद जिला अन्तर्गत परांकुश नगर(हुलासगंज) में घरों का पानी गलियों में फैला रहता है । निर्माण कम्पनी पर कार्रवाई करते हुए नाली निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, लालगंज के व्यवसायी मुकेश साह की हत्या की जॉच कराने के साथ-साथ उनके परिवार को सुरक्षा उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करने तथा 50 लाख मुआवजा देने की मांग सरकार से मैं करता हूँ ।

श्री विद्यासागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज विधान सभा से गुजरने वाली कजरा नदी जो हरिपुर, परवाहा होकर रानीगंज की ओर जाती है, जिसका बांध 2017 के बाढ़ में हरिपुर परवाहा एवं शंकरपुर के पास टूट गया है । जिससे हजारों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित है । क्षतिग्रस्त बांध निर्माण कराने की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, अंचल प्रखंड योगापट्टी अन्तर्गत पंचायतराज सिसवा मंगलपुर स्थित मंगलपुर कभी भी अपना अस्तित्व गंवा सकता है । विभाग ने वेट वाच में फाईल को डालकर कार्य रोक दिया है । लगभग दो हार की आबादी वाला यह गांव खतरे में है । मैं सदन से इस गांव को बचाने की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/पुलकित/29.02.2024

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड-संझौली के जिगनी गांव में एक दबंग द्वारा सरकारी भूमि (पगडंडी) पर 200 फीट कब्जा कर लिए जाने से महादलित टोला सहित पांच गांवों का रास्ता बाधित है । उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए रास्ता चालू कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार में हुई जातीय गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण का गांव, पंचायत, प्रखंड व जिलावार रिपोर्ट प्रकाशित कर उसके अनुसार भूमि सुधार, रोजगार और शिक्षा की समग्र योजना बनाने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा अंतर्गत निकसपुर, हरपुरभिण्ड़ी, इन्द्रवारा, वाजितपुर करनैल एवं दरबा से होकर ताजपुर-बख्तियारपुर फोरलेन सड़क निर्माणाधीन हैं, यहां के अधिसंख्य आबादी कृषि पर निर्भर है ।

अतः किसानों के हित में उपयुक्त स्थानों में अण्डरपास निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सिवान नगर परिषद सहित राज्य के सभी नगर निकायों में संविदा/दैनिक मजदूरी पर वर्षों से कार्यरत दैनिक सफाई कर्मियों तथा संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को स्थाई करने तथा नगर निकायों में निजीकरण की व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत 140 एंबुलेंसकर्मियों का वेतन एवं 20 माह का पी0एफ0 कई महीनों से

लंबित है, जिससे उनका जीना दुर्भर हो गया है । मैं जिले में कार्यरत 140 एंबुलेंसकर्मियों के बकाये वेतन एवं पी0एफ0 को अविलंब देने की मांग करता हूँ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों को दी जाने वाली सुरक्षा के अंतर्गत मुहैय कराये जाने वाले पुलिस अंगरक्षकों को कर्त्तव्य निर्वहन एवं अनुशासन के उचित प्रशिक्षण के साथ अलग अंगरक्षक कैडर बनाने की मांग सरकार से करती हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराजा कॉलेज, आरा के पूर्व प्रधानाचार्य डॉ0 नरेन्द्र कुमार की कार्यावधि में हुई वित्तीय अनियमितताओं की वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा की गयी एक प्राथमिक जांच में महज 2 साल में करीढ़ साढ़े 3 करोड़ वित्तीय अनियमितता सामने आई है, किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग करता हूँ ।

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, दिनांक- 17.01.2024 को कार्यपालक पदाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह को पिस्तल के बट से मारकर आंख फोड़ दी गयी, जिससे संबंधित रूपसपुर थाना अंतर्गत कांड संख्या-42/24 दर्ज की गयी थी लेकिन अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है । सरकार से अविलम्ब गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, जिला मधुबनी के प्रखंड अन्धराठाढ़ी के पंचायत मैलाम, गंगद्वार को प्रखंड राजनगर में शामिल किया जाए क्योंकि उक्त पंचायत से प्रखंड मुख्यालय की दूरी 22 कि0मी0 और बीच में कमला नदी है ।

अतः अन्धराठाढ़ी के पंचायत मैलाम, गंगद्वार को प्रखंड राजनगर में शामिल करने का सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह प्रखंड के माछीपुर चौक से लक्कड़ वाली बगीचा तक की जर्जर सड़क एवं डंडा बाजार से कोला नारायणपुर तक की जर्जर सड़क एवं कहलगांव प्रखंड के सत्कार चौक से दियोरी तक की जर्जर सड़क के निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में एक्स-रे, अल्ट्रसाउंड एवं दवाई पर पैसे की उगाही होने के साथ आई0डी0 पटना से जेनरेट किये जाने से एम्बुलेंस की ससमय बुकिंग नहीं हो पा रही है ।

डॉक्टरों की कमी से पेसेंट बेतिया अस्पताल में रेफर किये जा रहे हैं । मैं सरकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए सुधार की मांग करती हूं ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल छूट गया है ।

अध्यक्ष : आपका शून्यकाल छूटा नहीं है । मैंने कितनी बार आपलोगों से बार-बार कहा है कि शून्यकाल की सूचना 50 शब्दों में देनी है लेकिन आपके शून्यकाल की सूचना 61 शब्दों में थी इसलिए मैंने आपका शून्यकाल और ज्योति जी का शून्यकाल भी अमान्य किया है । ज्योति जी के शून्यकाल की सूचना 66 शब्दों में थी । कृपया ध्यान रखिये ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल भी छूट गया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप देर से आये । आपका शून्यकाल नंबर-1 पर था इसलिए आपको पहले आना चाहिए था ।

(व्यवधान)

अब सदन कल तक है इसलिए आज भर मैं आपलोगों को शून्यकाल पढ़ने की अनुमति देता हूँ । आपको अनुमति देते हैं अपना शून्यकाल पढ़िये ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2019 में शिक्षा विभाग द्वारा पत्र निर्गत कर उर्दू टी0ई0टी0 परिणाम 5 प्रतिशत कटऑफ गया था, जिसका अनुपालन आजतक नहीं हो सका है ।

उर्दू टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए 2019 के आदेश का अनुपालन कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखण्ड-बाराचट्टी के ग्राम पंचायत पतलुका में स्वीकृत स्वास्थ्य उप केन्द्र का भवन निर्माण हेतु धनगाई थाना के बगल में, अनावाद बिहार सरकार, थाना नं0-234, खाता सं0-213, प्लॉट सं0-1382 में एक एकड़ भूमि उपलब्ध है । अंचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत है ।

अतएव अति महत्वपूर्ण लोकहित में स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन के निर्माण हेतु सदन से मांग करती हूँ ।

अध्यक्ष : श्री प्रणव कुमार, आज ही के लिए अनुमति है ।

श्री प्रणव कुमार : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-7 के अंतर्गत कम्पनी फील्ड, जहां 10 से 12 गांवों के युवा खेला करते हैं तथा दौड़ की तैयारी करते आ रहे हैं । इस मैदान को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित कर रास्ता बना रहे हैं ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से उक्त मैदान में बन रहे रास्ते को रोकने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी । माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री राणा रणधीर, श्री विनोद नारायण झा एवं श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और हिन्दी की उत्पत्ति भी इससे हुई है । बहुत से प्राचीन ग्रंथ इसमें लिखे गये हैं, जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं । अपने प्रदेश बिहार में अब बच्चों / छात्रों की रूचि इस भाषा में कम महसूस हो रही है और इस भाषा के संरक्षण, संवर्द्धन और शोध के लिए यहाँ कोई शोध संस्थान नहीं है । हमें अपनी सांस्कृतिक और भाषायी विरासत को संरक्षित रखना है ।

अत: प्राचीनतम देव भाषा संस्कृत के संरक्षण, संवर्द्धन और नई पीढ़ियों में इसकी जानकारी प्रचारित करने के लिये राज्य में संस्कृत शोध संस्थान की स्थापना हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष: कल । माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक दायित्व को पूरा करने में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । वित्तीय साक्षरता, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, मनरेगा सर्वेक्षण, वृक्षारोपण, दीदी की रसोई, नीरा उत्पादन, विद्यालय सर्वेक्षण या शौचालय निर्माण से संबंधित सभी में 1.35 लाख कैडरों और 10.65 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित 1.20 करोड़ जीविका दीदियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में संगठित ग्रामीण गरीब महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है ।

अत: इस अभियान से जुड़े कर्मियों के गरिमामय जीवन जीने के लिए सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने,

कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने व धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18000, संकुल स्तर पर 15000, ग्राम संगठन स्तर पर 13000 व स्वयं सहायता समूह स्तर पर 12000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने तथा पाँच साल पुराने सभी जीविका दीदियों का कर्ज माफ करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ ।

टर्न-9/अभिनीत/29.02.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जीविका द्वारा बिहार में कुल 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूह गठित हैं जिसमें औसतन 12 सदस्य हैं । जिसकी कुल संख्या 1 करोड़ 30 लाख है । स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सदस्यों में पारस्परिक सहयोग, सामाजिक एवं आर्थिक पर आधारित है । सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संगठन द्वारा विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को कार्यान्वित कर समूह सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता संस्था द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है जो कि अंशकालिक है । एकनामा पत्र, पहचान पत्र संबंधी समुदाय संगठनों द्वारा अपने निर्णय के आलोक में दिया जा सकता है तथा निर्धारित ड्रेस प्रदान करना सामुदायिक संगठन के वित्तीय संसाधन एवं स्थायित्व पर निर्भर है और साथ-ही-साथ उनके आंतरिक प्रशासनिक निर्णय महत्वपूर्ण हैं ।

अध्यक्ष महोदय, कैडर मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है । बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा सामुदायिक संगठन के आर्थिक संसाधन एवं स्थायित्व बढ़ावा हेतु मानदेय में आर्थिक सहयोग दिया जाता है । ज्ञातव्य हो कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम केवल कुछ ही कैडर के मानदेय में लागू है । जैसे जीविका मित्र, ग्राम संगठन, लेखापाल, सी0एल0एफ0 लेखापाल, कलस्टर फैसिलिटेटर तथा शेष कैडर के मानदेय भुगतान में जीविका द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है । मानदेय का भुगतान सामुदायिक संगठनों द्वारा अपने संसाधन से अर्जित आय से किया जाता है । मानदेय का भुगतान संबंधित कैडर के बैंक खाते में ही सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है । कैडर के कार्यों की समीक्षा संबंधित सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है । कार्यों में

लापरवाही, असंतोषजनक प्रदर्शन, व्यवहार इत्यादि पर सामुदायिक संगठन द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है । कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है और सामुदायिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्तर के कैडरों का मानदेय निर्धारण कार्य की प्रकृति सामुदायिक संगठनों के स्वयं के हित, स्थायित्व एवं उपलब्ध संसाधनों से अर्जित आय के आधार पर किया जाता है तथा कार्य समीक्षा के बाद मानदेय का भुगतान किया जाता है । बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका कैडर मानदेय हेतु सामुदायिक संगठनों को वित्तीय सहायत प्रदान करती है ताकि आर्थिक स्थायित्व को सशक्त बनाया जा सके । चूंकि सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक स्वावलंबन हेतु सहयोग करना है । स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराये गये ऋण का उद्देश्य मुख्यतः जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन करना और निर्धारित किस्त के अनुसार वापस किया जाना आवश्यक होता है जिससे अन्य सदस्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध हो सके ।

ज्ञात्वय हो कि सदस्यों को दिये गये ऋण पर प्राप्त ब्याज समुदाय आधारित संगठनों की आय का मुख्य स्रोत है । ससमय ऋण वापसी से सदस्यों में आपसी विश्वास और पारस्परिक सहयोग को बल मिलता है तथा समूह स्थायी बना रहता है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, पूरक है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुदामा जी, आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में गागर में सागर भर दिया था । माननीय मंत्रीजी ने गागर से सागर निकाल देने का काम किया है । पूछिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, पूरक है कि क्या सरकार जीविका कर्मियों के अंदर स्थायित्व का भाव पैदा करने के लिए उनको नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, इसमें तो मायने स्पष्ट कर दिया है । जवाब में ही है कि इनको जो सामुदायिक संगठन है उसके माध्यम से उनको पहचान पत्र और पत्र मिलता रहता है ।

अध्यक्ष : ठीक है । हो गया ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, दूसरा पूरक है कि क्या सरकार ध्यानाकर्षण में उल्लेखित मानदेय तय करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : सरकार कहां दे रही है ? क्या है माननीय मंत्रीजी ? वह तो समूह दे रहा है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संकुल स्तर पर मानदेय का भुगतान संकुल स्तरीय संगठन करता है और दूसरी चर्चा इन्होंने की है, बढ़ाने की बात की है अपने ध्यानाकर्षण में, तो 1 जून, 2022 से कैडर का मानदेय बढ़ा है । यानी जीविका मित्र का 1 जून, 2022 से पहले 25 सौ था अब बढ़ाकर 4 हजार किया गया है । ग्राम संगठन, लेखापाल का 35 सौ था 1 जून, 2022 से पहले अब वह 56 सौ हो गया है । क्लस्टर फैसिलिटेटर का 55 सौ था, 7 हजार 150 हो गया है । सी0एल0एफ0 लेखापाल का 45 सौ था, 6 हजार 750 हो गया है । बैंक मित्र का 2 हजार 250 था, 3 हजार 600 हो गया है । महोदय, समय-समय पर जो संकुल स्तरीय संगठन है उसकी आमदनी के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाने का काम वे करते रहते हैं, तो माननीय सदस्य की जो चिंता है वह हमलोग दूर कर रहे हैं और यह बिल्कुल जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में जो काम हो रहे हैं इनको अच्छा लगता है । इनको धन्यवाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, अंतिम पूरक है कि जैसे कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि कितनी भयावह स्थिति थी, तो कोरोना काल का उनका सरकार कर्ज माफ करने का विचार रखती है और उनका 10 लाख का निःशुल्क बीमा करवाने का विचार रखती है ? इसलिए कि वे कर्मी की तरह 16-16 घंटे काम करती हैं और मैं समझता हूं कि हमने जिन चीजों को उठाया है उसे सरकार को मान लेना चाहिए । इसलिए कि सरकार की ओर से या यह कहिए कि माननीय मुख्यमंत्रीजी की ओर से जहां कहीं सभाओं का आयोजन होता है संख्या बल वही बढ़ाती हैं इसलिए सरकार को सकारात्मक ढंग से इन मामलों पर विचार करना चाहिए । कम-से-कम बीमा करवायेगी कि नहीं सरकार ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/हेमन्त/29.02.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 के खण्ड 4 की उपधारा 14(क)(iv) में अंकित शाब्दिक अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु मैंने पूर्व में भवदीय को सूचना दी है ।

अतएव कृपया उस धारा 14(क)(iv) में अंकित (i) को (ii) के रूप में शुद्ध करते हुए इस रूप में सदन से पारित कराने की कृपा की जाय ।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, मूव करता हूं । महोदय, यह आयोग अपने नाम से ही तकनीकी है । इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं अन्य सभी तकनीकी विभागों की सभी पदों की बहाली होनी चाहिए ।

महोदय, सदन के माध्यम से इस पर जनमत जानने हेतु परिचालित हो । यह व्यापक है, जनहित में है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक 31 मार्च, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक की पहली पंक्ति के शब्द 'अधीन' एवं शब्द 'बिहार' के बीच शब्द समूह ''बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा सम्वर्ग'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि सबकी नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग करेगा और एकमात्र चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के लिए अलग से होगा, तो यह उचित नहीं होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक की पहली पंक्ति के शब्द 'अधीन' एवं शब्द 'बिहार' के बीच शब्द समूह ''बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा सम्वर्ग'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो।''

महोदय, यह प्रस्ताव हमने इसलिए किया है और यह संशोधन सरकार इसलिए लायी है कि इसमें सैद्धांतिक कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है । यह जो तकनीकी सेवा आयोग से संबंधित अधिनियम या नियमावली थी और जो इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है, उसकी जो नियमावली थी, इन दोनों के बीच कुछ विसंगतियां थी और उसी तरीके से मेडिकल कॉलेजेज में जो टीचर, जो बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग से आते हैं, उनकी जो नियुक्तियां होनी थी, उसमें भी जो उस वर्ग, संवर्ग की नियमावली थी और जो तकनीकी सेवा आयोग की नियमावली थी, उन दोनों में कुछ विसंगति थी । जैसे इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में जो सहायक निदेशक या अन्य पद हैं उसकी नियुक्ति के लिए संस्थान की नियमावली में तकनीकी सेवा आयोग से ही उनकी नियुक्ति की बात की थी, लेकिन तकनीकी

सेवा आयोग का जो मेंडेट या उनके संबंध में जो मेंडेट या अधिसूचना थी, उसमें इंदिरा हृदय रोग संस्थान के बारे में जिक्र नहीं था जिसके कारण दोनों में विसंगति हो रही थी । इसलिए अब एक संशोधन करके तकनीकी सेवा आयोग के मेंडेट में, जो इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है, उसमें भी जो नियुक्तियां होनी हैं उसको हम लोग तकनीकी सेवा आयोग के मेंडेट के अधीन ला रहे हैं । महोदय, उसी तरीके से दूसरी विसंगति यह थी कि जो बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग है, मतलब जो मेडिकल कॉलेजेज में टीचर बहाल होते हैं, वह सेवा संवर्ग की जो नियमावली थी उसमें उनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से होनी थी, लेकिन तकनीकी सेवा आयोग की जो अधिसूचना थी उसमें उसको तकनीकी सेवा आयोग के अधीन कर दिया गया था, तो यह भी विसंगति थी । उसको दूर करने के लिए तकनीकी सेवा आयोग के मेंडेट से चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति बीपीएससी से कराने की बात हो रही है और अजीत शर्मा जी जो कह रहे थे, अरे, बीपीएससी से जो होगा, बिहार लोक सेवा आयोग से, वह तो ज्यादा योग्य या स्तरीय परीक्षा से आयेंगे, वह बेहतर होगा । यह सिर्फ विसंगति दूर करने के लिए ये अमेंडमेंट मुख्य रूप से इस संशोधन विधेयक के अंश हैं और ये नीतिगत फैसले में कोई परिवर्तन नहीं है या कोई नयी चीज नहीं कह रहे हैं । जो पहले से चीज स्थापित थी, अगर दो नियमावली में कुछ विसंगति थी हम उसको दूर कर रहे हैं । महोदय, इसलिए सदन से आग्रह है कि इसको सर्वसम्मति से पास करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ।

बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत रहिये, शांत रहिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान)

स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलियेगा । शांत रहिये ।

टर्न-11/धिरेन्द्र/29.02.2024

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा....

(व्यवधान)

मत बोलिये, बैठे-बैठे मत बोलिये । अजीत जी बैठ जाइये, अभी पढ़ने दीजिये । विधेयक अभी कहाँ चल रहा है, अभी बैठिये । अजीत जी, आप बैठ जाइये ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अजीत जी, बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 दिनांक 31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि यह बिल आनन-फानन में लाया गया है । यह मूल बिल है जिस पर आम जनता भी अपना सुझाव दे और कारगर सुझाव का समावेश इसमें हो । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 दिनांक 31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2,3,4 और 5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2,3,4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2,3,4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड-6 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (1) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय-

''जिस पर एक माह के अंदर आयुक्त निर्णय लेगा ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि समय-सीमा निर्धारित रहे अन्यथा लाल फीताशाही के कारण यह अनंत काल तक लंबित रहेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (1) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय-

''जिस पर एक माह के अंदर आयुक्त निर्णय लेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 एवं 17 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 एवं 17 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड–18 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–18 के उपखंड (1) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय–

''परंतु यह कि तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य होगा और वीडियो की एक प्रति तलाशी के अंत में संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी ।''

महोदय, यह प्रधान निजता का भी उल्लंघन है । लाख पीपल फ्रेंडली पुलिस की बात होती हो लेकिन मानव अधिकार का हनन करने में पुलिस भी बहुत आगे है । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ताकि तलाशी के दौरान जो भी विभिन्न प्रकार के आरोप पुलिस कर्मियों पर लगते हैं और जिनमें बहुत हद तक सच्चाई भी रहती है, उससे वे बचें और कोई विवाद न हो । न्यायालय भी वीडियो के आधार पर कारगर कदम उठा सके । इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय अन्यथा पुलिस किसी के घर में घुस जायेगी और मनमानी करेगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–18 के उपखंड (1) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय–

''परंतु यह कि तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य होगा और वीडियो की एक प्रति तलाशी के अंत में संबंधित व्यक्ति को दी जायेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-18 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-18 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 एवं 32 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 एवं 32 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 एवं 32 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : कोई बोलने वाले हैं ?

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य में लोक व्यवस्था के संधारण के उद्देश्य से तथा असमाजिक तत्वों के नियंत्रण एवं दमन के विशेष प्रावधान हेतु बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 वर्तमान में लागू है । यह अधिनियम लगभग 43 साल पुरानी है । विगत 43 वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के शहरीकरण तथा आर्थिक गतिविधियों के व्यापक विस्तार के साथ-साथ विज्ञान एवं तकनीकी के साधनों का गुणात्मक विकास हुआ है । बदलती परिस्थितियों के दृष्टिगत और जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप नये-नये अधिनियम लागू किये गये हैं । वर्तमान में शराबबंदी का कानून, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कानून और महिलाओं के प्रति अपराध पर नियंत्रण हेतु कानून लागू किये गये हैं । अपराध करने वाले अपराधियों की शैली एवं अपराध की प्रकृति में भी परिवर्तन एवं विस्तार हुआ है जिससे आम-नागरिकों के साथ-साथ लोक व्यवस्था का संधारण भी प्रभावित हो रहा है । उल्लेखनीय है कि 43 वर्ष पूर्व जब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की परिकल्पना की गई थी तो उस समय इन नये स्वरूप के अपराधों की परिकल्पना नहीं की गई थी किन्तु वर्तमान में अवैध शराब, आग्नेयास्त्रों का दुरूपयोग, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना प्रौद्योगिकी का दुरूपयोग, यौन अपराध, बच्चों के प्रति अपराध आदि से आज की तिथि में प्रभावकारी संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है । वर्षों पूर्व लागू किए गए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत आज की तिथि में अपराधियों की बदली हुई शैली से प्रभावित आम-नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं । इसके फलस्वरूप नागरिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के साथ-साथ प्रशासनिक विश्वसनीयता में भी कमी आती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव लोक-व्यवस्था के संधारण पर पड़ता है ।

(क्रमशः)

टर्न-12/संगीता/29.02.2024

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (क्रमशः) : सरकार इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है कि राज्य के नागरिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं हो । साथ ही वर्तमान समय में अपराध करने की परिवर्तित शैली पर अंकुश लगाते हुए असामाजिक तत्वों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 को पुनर्गठित किया जाए । नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार

पूर्ण रूप से संवेदनशील है तथा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है ।

वर्तमान प्रस्तावित विधेयक के लागू होने के पश्चात् लोक शांति एवं व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अपराधियों को जिलाधिकारी के द्वारा अपने प्रशासनिक तंत्रों का उपयोग करते हुए निरूद्धादेश निर्गत किया जा सकेगा ।

मेरा अनुरोध है कि राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण के लिए यह सभा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है

''बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 का बिल लाने के लिए विशेष तौर पर बधाई भी देता हूं । बिहार में माफिया के जो सिंडिकेट हैं, चाहे वे बालू माफिया हों, शराब माफिया हों, जमीन माफिया हों, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को होगा, प्रशासन को होगा । इसके लिए मैं फिर से आपके माध्यम से बधाई देता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति । शांति बनाए रखिए ।

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

(व्यवधान)

बैठिए, बैठिए । बैठ जाइए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे भाई, आप क्यों बिगड़ रहे हैं, बैठ जाइए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए । संजय जी क्या कर रहे हैं आप ? यह अच्छी बात नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव मूव करूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 दिनांक-31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि यह बिल आनन-फानन में लाया गया है । यह मूल बिल है जिसपर जनता की भी राय आनी चाहिए इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 दिनांक-31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

संजय सरावगी जी, प्लीज, कृपया, कृपया ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं । खंड-2,3,4,5,6,7,8,9 एवं 10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2,3,4,5,6,7,8,9 एवं 10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2,3,4,5,6,7,8,9 एवं 10 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

(व्यवधान)

श्री शकील अहमद खां : सर, आपसे कुछ कहना है ।

अध्यक्ष : इसमें क्या कहना है ? स्वीकृति के प्रस्ताव में बोलिएगा जो बोलना होगा । स्वीकृति के प्रस्ताव में बोलने की अनुमति रहती है । आप नहीं बोलना चाहते हैं तो अलग बात है । अब है, मैंने कहा पहले, दूंगा । इसमें खंडशः में क्या होगा ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलने वाले हैं, बोलिए ।

श्री शकील अहमद खां : अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ, अजीब विडंबना है जब भी कोई विधेयक आता है और अगर

प्रस्ताव संशोधन का होता है तो इसपर थोड़ी सी तो बहस होनी चाहिए । क्या हो सकता है कि क्या विपक्ष सारी गलत बात कह रहा है...

अध्यक्ष : मैं तो बोलने के लिए कह रहा हूं आपको ।

श्री शकील अहमद खां : नहीं, बहस होनी चाहिए...

अध्यक्ष : कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं हैं ।

श्री शकील अहमद खां : उसके बाद यहीं पर बहस हो जाए, दो-चार लाईन की बहस हो, क्यों हम उसके विपक्ष में हैं, उसका कारण हो, क्यों पक्ष में हैं, वाद-विवाद के...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री शकील अहमद खां : अगर प्रस्ताव पारित होता है तो इसका मतलब है कि यह जो हाउस है...

(व्यवधान)

नंबर वन, नंबर टू मैं अपने उप मुख्यमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं...

अध्यक्ष : यह सवाल करने का समय नहीं है । इस विधेयक पर बोलिए ।

श्री शकील अहमद खां : आपने पहले सत्र में यहां पर बयान दिया है कि मुख्यमंत्री जी से शिक्षा विभाग के मामले में आप बात करके यहां बतायेंगे, उसके बारे में जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शकील अहमद खां जी ने सही बात कही है लेकिन हमको यह नहीं समझ में आया कि यह चीज नहीं होता हुआ आपको कब दिखा ? अभी जो 2 विधेयक आये हैं और यह जान लीजिए कि उसमें खंडशः में विचार में आप अगर किसी खंड में संशोधन नहीं दिए हैं तो जिस समय मंत्री जी उस विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में रखते हैं, उस समय जो सदस्य चाहे बोल सकते हैं, अध्यक्ष भी इशारे से पूछते हैं कि कोई और बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए और अभी हमने ही इसके पहले जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक लाया था और जब आपसे स्वीकृति मांगी थी तब हम क्यों संशोधन ला रहे हैं, किस-किस चीज के लिए संशोधन कर रहे हैं उसकी क्या जरूरत पड़ी है, सबकुछ हमने बताया था । इसके अलावा और क्या होता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया । इसमें कोई विचार नहीं रखना है ।

माननीय प्रभारी मंत्री । आप बोलिए, अपनी बात कहिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक वातावरण बनाये रखने में राज्य सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली में सक्षम होने के लिए जन सहयोग एवं

जन भागीदारी आवश्यक है । इस हेतु राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं महत्वपूर्ण तथा भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर इन स्थलों के संचालकों के द्वारा अपने अधीन प्रतिष्ठानों एवं स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय अधिष्ठापित करने से असामाजिक तत्वों के कार्यकलापों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है । इसके अलावा अपराधों को रोकने, ट्रैक करने और पता लगाने हेतु अपराधियों का फुटेज प्राप्त होने से अपराध साबित होने पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकेगी । उक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार राज्य के प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केन्द्र, अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं सुरक्षात्मक उपकरण अधिष्ठापन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । इससे अपराध दर, आतंकवाद, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ आपराधिक जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने, अपराधियों के खिलाफ अनुसंधान और अभियोजन में भी सहायता मिलेगी ।

(क्रमशः)

टर्न-13/सुरज/29.02.2024

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (क्रमशः): विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच समरसता तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने में जन भागीदारी बढ़ेगी ।

3. इस उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा/विधान परिषद् के समक्ष बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 का प्रारूप स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

4. प्रस्तावित बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 में कुल 10 धारायें शामिल की गयी हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. लोक सुरक्षा उपाय प्रदान करने का दायित्व ।
4. लोक सुरक्षा समिति का गठन एवं कार्य ।
5. लोक सुरक्षा समिति या उप लोक सुरक्षा समिति की शक्तियां।
6. अपील ।
7. व्यावृत्ति ।
8. सद्भावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।
9. नियम बनाने की शक्ति ।

10. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

5. बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2024 में प्रस्तावित प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं-

i. यह प्रावधान सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक भीड़ वाले स्थानों, यथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, बैंकिंग संस्थानों के बाहरी परिसर, अपार्टमेंट आदि प्रतिष्ठानों पर लागू होगा ।

ii. अधिसूचित श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान से सटे सड़क पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे अधिष्ठापित करेंगे । इन कैमरों की फुटेज को कम से कम तीस दिनों के लिये संग्रहित रखेंगे तथा सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करेंगे ।

iii. प्रस्तावित प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा लोक सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जो प्रतिष्ठानों की पहचान, रिकॉर्ड रखने, निरीक्षण करने तथा उन्हें निर्देश देने का कार्य करेगी ।

iv. लोक सुरक्षा समिति लोक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिये लोक सुरक्षा उप-समितियों का गठन कर सकेगी ।

v. प्रतिष्ठानों को लोक सुरक्षा समिति द्वारा विनिर्ष्दिट लोक सुरक्षा उपायों को तीन माह के भीतर लगाना होगा, अन्यथा लोक सुरक्षा समिति उन पर निम्नवत जुर्माना लगा सकेगी-

- व्यतिक्रम के पहले महीने के लिये- रु 10,000;
- पहले माह के बाद के महीनों के लिये- 25,000 रुपये प्रति माह ।

vi. लोक सुरक्षा समिति के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा संबंधित ओदश की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला दंडाधिकारी के समक्ष अपील भी दायर कर सकेंगे ।

अतः महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इसे राज्य हित में और समाज की सुरक्षा और उसकी व्यवस्था के हित में इसे पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिक आयोग को भंग करना है । केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 बना, जिसमें संशोधन कर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में लागू किया गया । बच्चों के लिये राष्ट्र नीति, 2013 में बनी । बिहार में राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 में बना । अचानक 2024 में उस अधिनियम में संशोधन कर भंग करने का अधिकार सरकार क्यों हासिल करना चाहती है । यदि भय की तलवार लटकी रहेगी तो वह संस्था काम नहीं करेगी । यदि किसी बकरी को बाघ के पिंजरे के सामने बांध दिया जाय तो लाख उस पर जतन किया जाय, वह तंदुरूस्त नहीं हो सकती, वही हाल इस आयोग का होगा ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, यह संशोधन आयोग जैसे स्वतंत्र संस्था को सरकार अपने नियंत्रण में करना चाहती है । सरकार को विभाग तो है ही जिस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है । जब आयोग का गठन हुआ होगा तो इसे सरकार के नियंत्रण से बाहर रखकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आजादी दी गयी, जो कि जनहित में है लेकिन राज्य सरकार भी केन्द्र सरकार की तर्ज पर सभी आयोगों, संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेकर उसे पंगु बनाना चाहती है । महोदय, जनहित में इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक-31 मार्च, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।'' तदोपरांत एक प्रतिवेदन आ जाय तो पुनः उसे सदन में विचार के लिये रखा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करेंगे महोदय । अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया ताकि एक समिति पूरी जांच-पड़ताल कर ले और विधेयक में यदि कोई खामी रह गयी है तो उसे दूर कर लिया जाय और अच्छी तरह समझ-बूझ कर सदन में उसे पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : जी मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय-

''परन्तु यह और कि आयोग को तब तक भंग नहीं किया जायेगा जब तक कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की जांचोपरांत भंग करने की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जायेगी ।''

महोदय, इसमें लिखा हुआ है समाधान । आखिर समाधान सरकार को होगा कैसे, क्या सचिवालय में कोई बाबू बैठकर सरकार के समक्ष प्रस्ताव देगा ? किसी भी संस्था को भंग करने के लिये सचिवालय के बाबू को यह अधिकार नहीं दिया जाय, बल्कि मुख्य सचिव आपके ही हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर जांच करायी जाय और यदि अनियमितता पायी जाय तब भंग करने के लिये सरकार सोचे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय-

''परन्तु यह और कि आयोग को तब तक भंग नहीं किया जायेगा जब तक कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की जांचोपरांत भंग करने की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जायेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न–14/राहुल/29.02.2024

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड–3 में 7 संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे महोदय । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित धारा 7 क(1) को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि बिना कोई जांच पड़ताल के स्वत: कार्यरत आयोग भंग न हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित धारा 7 क(1) को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित धारा–7क(2) की प्रथम पंक्ति के शब्द ''उपरांत'' एवं शब्द ''राज्य'' के बीच शब्द समूह ''तीन दिनों के अंदर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि आयोग के भंग होने की स्थिति में प्रशासक की नियुक्ति में विलंब न हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित धारा–7क(2) की प्रथम पंक्ति के शब्द ''उपरांत'' एवं शब्द ''राज्य'' के बीच शब्द समूह ''तीन दिनों के अंदर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7ख(1) की तीसरी पंक्ति के शब्द ''हेतु'' एवं शब्द ''विशेषज्ञों'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि राष्ट्रीय स्तर के गुणी लोग विशेषज्ञ के रूप में आ सकें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7ख(1) की तीसरी पंक्ति के शब्द ''हेतु'' एवं शब्द ''विशेषज्ञों'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7ख(2) की प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''राज्य सरकार द्वारा गठित की जायेगी जिसमें'' के स्थान पर शब्द ''में'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि यह शब्द समूह निरर्थक रूप से दोहराया गया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7ख(2) की प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''राज्य सरकार द्वारा गठित की जायेगी जिसमें'' के स्थान पर शब्द ''में'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7ख(3) की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''किया जायेगा'' के स्थान पर शब्द समूह ''की जायेगी'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि इसमें भाषायी अशुद्धि है और अगर यह नहीं माना जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार विवश होगी इसी अशुद्ध रूप में अधिसूचित जारी करने के लिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7ख(3) की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''किया जायेगा'' के स्थान पर शब्द समूह ''की जायेगी'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7ख(4) की प्रथम पंक्ति के शब्द ''द्वारा'' एवं शब्द ''परीक्षण'' के बीच शब्द समूह ''एक सप्ताह के अंदर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि समर्पित अनुशंसा पर कोई कुंडली मारकर न बैठे और उस पर विचारण एक सप्ताह की समय-सीमा में हो जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7ख(4) की प्रथम पंक्ति के शब्द ''द्वारा'' एवं शब्द ''परीक्षण'' के बीच शब्द समूह ''एक सप्ताह के अंदर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7घ(1) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''यदि'' को विलोपित किया जाय ।

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि हड़बड़ी में यह विधेयक लाया गया है और त्रुटिपूर्ण वाक्य रख दिया गया है । यह यदि अतिरिक्त है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित धारा-7घ(1) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''यदि'' को विलोपित किया जाय ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

महोदय, आयोग का कृत्य बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए है । भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, बालश्रम प्रथा रोकथाम एवं पुनर्वास में सहायता करना, बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए अध्ययन, शोध एवं विशलेषण का संकलन करना आदि है । महोदय, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-5 के अनुसार आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित था जिसे धारा-5 में नया प्रावधान जोड़ते हुए राज्य सरकार में यह शक्ति निहित की गयी है कि यह आयोग के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति तथा विस्तृत लोकहित में आयोग को किसी भी समय भंग कर सकेगी । महोदय, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 के लागू होने के पश्चात् बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग भंग हो जायेगा एवं आयोग

के भंग होने के उपरांत आयोग के मामले के प्रबंधन हेतु प्रशासक की नियुक्ति की जा सकेगी । इस प्रयोजन हेतु धारा-7 के पश्चात् 7 क(1) एवं 7 क (2) जोड़ा गया है । महोदय, बाल श्रमिक आयोग के भंग होने के पश्चात् आयोग के पुन:संरचना एवं पुनर्गठन पर अध्ययन एवं अनुशंसा हेतु विशेषज्ञों की समिति गठित की जायेगी । महोदय, कई परिवर्तन भी हो रहे हैं तो विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से बहुत सारी जानकारी केन्द्र और राज्य, डबल इंजन की सरकार है तो बिहार के अंदर भी इस महामारी से मुक्ति मिले बालश्रम से उसके लिए यह आवश्यक भी था । महोदय, राज्य सरकार द्वारा नये बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन इसके विघटन की तिथि के दो माह के अंदर कर लिया जायेगा । राज्य सरकार समिति को सौंपे गये कार्यों हेतु समुचित निदेश दे सकेगी । राज्य सरकार यदि आवश्यक समझेगी तो वर्तमान अधिनियम अथवा संशोधन अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासक को निर्देश दे सकेगी । प्रशासन के लिए ऐसे निदेश को मानना बाध्यकारी होगा । अध्यक्ष महोदय, राज्य में वर्तमान में जो सरकार है यह सरकार सभी वर्गों, धर्मों, संप्रदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है । महोदय, बाल श्रमिक समाज के किसी भी हिस्से आते हैं हमारी सरकार ने बालश्रम को अपराध माना है । इसके पूर्व भी मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं और आपको जानकारी दे दूं कि 18 जिले व्यापारिक प्रतिष्ठान क्षेत्र में हमने बालश्रम मुक्त करके घोषित किया था और इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा हमने विश्वस्तरीय कार्यक्रम में जेनेवा गये थे और यह बालश्रम मुक्त हमारे बिहार के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है । हम, आप सभी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को निखरने का, खिलने का, बढ़ने का अवसर दें और यह अवसर प्रदान करना आज वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है ।

क्रमश:

टर्न-15/मुकुल/29.02.2024

क्रमश:

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : हर क्षेत्र में बाल श्रमिक मुक्त वातावरण बनाना, महोदय, आज कोई संस्था या व्यक्ति बाल श्रमिकों को मजदूरी, नौकरी अन्य कार्य के लिए नियोजित करेंगे तो उन्हें दंडित करने हेतु प्रावधान बने हुए हैं । महोदय, अब घर के अंदर हम बालकों को प्रशिक्षित एक तरह से सिखाते हैं वह बाल श्रमिक के तहत नहीं आता है । लेकिन जब हम उसका लाभ उठाते हैं उसके माध्यम से पारिश्रमिक कराकर के और हम उसके भविष्य को नष्ट करते हैं तो उसपर कार्रवाई संशोधन आवश्यकतामय, महोदय, मैं विपक्षी सदस्यों से अपना

संशोधन वापस लेने, सदन से इस विधेयक को सम्मति से स्वीकृत करने का अनुरोध भी करता हूं और महोदय, आज तो राज्य में वर्ष 2022 में सत्ता में जिन लोगों ने जनादेश के विपरीत प्रवेश किया था और अपराधी घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुआ था, आज मैं बधाई देता हूं आप सभी सदन के लोगों को कि भू-माफिया, शराब माफिया और दारू माफिया ने जो राज्य में कोहराम मचाया, आज भी मैंने स्पेशल टीम भेजा है और इनके कारण पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर भी हमले होने लगे थे, मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते वहां पर बैठकर के 500 दिन में 341 दिन 70 प्रतिशत दिन अपराधियों के विरोध में सरकार को सजग करते रहा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन के अंदर और सड़क पर की लड़ाई को गंभीरता से लिया और जो लोग इस अपराध को बढ़ाने और संरक्षित करने में भूमिका निभा रहे थे उसको बाहर करके आज जो बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक भी आपने लाया है इसके लिए पूरे बिहार की जनता आज मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के प्रति वह आभार व्यक्त करेगा क्योंकि अब अपराधियों पर लगाम लगेगा और अपराधियों का मनोबल गिरेगा और जो इसका विरोध करेगा कही-न-कहीं वह अपराधियों के संरक्षक के रूप में भी जाना जायेगा । अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव, सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव मूव करूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो।''

महोदय, इस विधेयक को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इस विधेयक को लाने का एक मात्र उद्देश्य बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को भंग करना है । संस्थाएं जब शक्ति संपन्न रहती हैं तो अच्छा काम करती हैं, इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक-31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो।''

महोदय, इसमें भी वही बात है, जनता की भागीदारी कानून बनाने में हो । यही मेरा उद्देश्य है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक-31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

महोदय, शिक्षा बोर्ड को विघटित करने का इस विधेयक का मतलब है । इस विधेयक का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाय, उद्देश्य को मैंने देखा, इसमें है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाय, इसमें है । मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृत के माध्यम से कैसे लागू होगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने भाषा विज्ञान की भी चर्चा की है तो इसके पहले हमारे यहां नई शिक्षा नीति संस्कृत में नई शिक्षा नीति के तहत लागू करने की बात नहीं है । हमारे यहां तो भारद्वाज संहिता थी जिसको लेकर जर्मनी ने हवाई जहाज बनाया, हमारे यहां कई सूत्र ऐसे हैं जिससे थर्मोडाइनेमिक्स में काम किया जा सकता है । नई शिक्षा नीति में जब आप इसे शामिल करने की बात करेंगे तो मैं नहीं जानता की बिहार में भाषा विज्ञान से संबंधित ऐसे कोई लोग हैं आपके बिहार के विश्वविद्यालयों में जो इन बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहेंगे । मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं कि संस्कृत में कई ऐसे सूत्र हैं कि जब महाभारत हुआ था तो उस समय पृथ्वी के लिए चन्द्रमा की स्थिति बतलाई गई थी और हर 19 साल में पृथ्वी अपने एक्सिस से 4 डिग्री एंगेल से फ्लेक्चुएट कर जाती है ।

क्रमशः

टर्न–16/यानपति/29.02.2024

श्री अजय कुमार सिंह (क्रमशः) : महोदय, तो उसके गुणात्मक बात, यह मैं नहीं कहता हूं, इसे नासा ने भी इसको एक्सेप्ट किया है तो इन सारे सूत्रों को समझने की बात भाषाविद जो हमारे यहां हैं पहले उनको तालीम देनी होगी कि आप इन सूत्रों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं । अन्यथा नई शिक्षा नीति के संबंध में आपके कानून ले आने से संस्कृत के लिये कोई नई शिक्षा नीति आप नहीं बना सकते हैं । मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि शंकराचार्य ने इस संदर्भ में लिखा उसका

11वां श्लोक जो है, वह पहला श्लोक है तो उसमें चार त्रिभुज का मुंह ऊपर है और चार नीचे है । मैं जब पी0एच0डी0 करने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया था तो फिजिक्स के प्रोफेसर डॉ0 बी0के0 राय साहब ने कहा, मैंने कहा कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है, इसपर काम हो सकता है या नहीं हो सकता है । उन्होंने कहा कि इसपर काम होगा तो सबसे पहले भाषा विज्ञान के उस विद् को चिन्हित करना होगा आपको, तत्पश्चात् संस्कृत के लिये आप नई शिक्षा नीति में प्रवेश करेंगे, उसका रास्ता खोलेंगे । इसलिए मैंने कहा कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय । महोदय, हर खंड, बहुमत उधर है, बहुमत इधर नहीं है उसको आप पास करा देंगे इसका कोई मतलब नहीं है । जब सरकार कोई काम करना चाहती है तो उसका सार्थक स्वरूप होना चाहिए था और मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि आप सार्थक स्वरूप के लिये, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को, और संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसके सार्थक स्वरूप को खड़ा कीजिए, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भले संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव गिर जाय लेकिन आपके जो अच्छे विचार हैं, केवल आप ही नहीं, सभी माननीय सदस्यों के अच्छे विचार सरकार ग्रहण करती है और अपनी नीतियों में समाहित करने की कोशिश भी करती है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित संशोधन के अन्त में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय–

''परंतु यह कि आयोग को तब तक भंग नहीं किया जायेगा जब तक कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की भंग करने की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जायेगी ।''

महोदय, मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि बोर्ड को भंग करने के पूर्व जांच करा ली जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय–

''परंतु यह कि आयोग को तब तक भंग नहीं किया जायेगा जब तक कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की भंग करने की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जायेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–4 में 3 संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–4 (i) में प्रस्तावित नयी उप धारा (6) (क) को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि स्वत: बोर्ड भंग न हो बल्कि जांच पड़ताल के बाद भंग हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–4 (i) में प्रस्तावित नयी उप धारा (6) (क) को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4(ii) में प्रस्तावित नयी उप धारा (7)(क) की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''हेतु'' एवं शब्द ''विशेषज्ञों'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त'' जोड़े जायं ।

म्होदय, यह भी पहले जैसा ही है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि जो समिति बने उसमें राष्ट्रीय स्तर के गुणवान लोग विशेषज्ञ के रूप में आ सकें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4(ii) में प्रस्तावित नयी उप धारा (7)(क) की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''हेतु'' एवं शब्द ''विशेषज्ञों'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त'' जोड़े जायं ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 (iii) में प्रस्तावित नयी उप धारा (8) की पहली पंक्ति के शब्द ''तीन'' के स्थान पर शब्द ''दो'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि जल्द से जल्द बोर्ड का गठन हो सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 (iii) में प्रस्तावित नयी उप धारा (8) की पहली पंक्ति के शब्द ''तीन'' के स्थान पर शब्द ''दो'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं सदन से इसलिए यह गुजारिश कर रहा था कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे क्योंकि यह बहुत ही साफ नीयत से लाया गया एक संशोधन है ।

(क्रमशः)

टर्न-17/अंजली/29.02.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की चिंता या अंदेशा हो, महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मूल रूप से हमने सुना कि तीन हमारे माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, श्री समीर कुमार महासेठ जी और श्री अजय कुमार सिंह जी, इन्होंने अपनी-अपनी बात, किन्हीं ने जनमत जानने के लिए, किन्होंने प्रवर समिति में देने के लिए, किन्हीं ने खंडशः कुछ संशोधन प्रस्ताव दिये और जो मूल रूप से इन्होंने आशंकाएं जताई हैं कि ये भंग करने के लिए कर रहे हैं और ये आपका कोई भी बोर्ड या आयोग होता है, हमारे महबूब जी जो सदन के महबूब हैं ये कहने लगे कि सरकार इसको मातहत करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए ला रही है, तो सदन जानता है कि कोई भी बोर्ड या आयोग सरकार के समानांतर या सरकार की

नीतियों से अलग काम करने का उनका मैंडेट नहीं होता है, ये तीनों-चारों जो संशोधन विधेयक लाये गये हैं पहले के अधिनियम हैं । महोदय, इन अधिनियमों में यह प्रावधान मिसिंग रह गया था क्योंकि भी बोर्ड या आयोग, अगर सरकार की नीतियों के मुताबिक काम नहीं करता है या सरकार ने जो मैंडेट दिया है उसके बियोंड काम करता है, उससे बाहर जाकर काम करता है तो आखिर सरकार के हाथ में क्या है और सरकार के कामों की समीक्षा करके, उसकी नीतियों को बदलने का अधिकार किसी बोर्ड आयोग को नहीं होता है । जो आप कह रहे थे कि उसको भंग करने के लिए कर रही है, जो बोर्ड निगम या आयोग सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं चलता है तो उसको भंग करने का अधिकार सारे अधिनियमों में सरकार को प्राप्त है । इन अधिनियमों में यह मिसिंग था इसलिए इसको प्रावधानित किया गया है और...

(व्यवधान)

पूरी बात पहले सुन लीजिए । हम आपकी भी बात करेंगे, वो वाला भी आ रहा है। महोदय, अब जरा इस पर देखिए कि ये कह रहे हैं, अभी जो हमारे इन्होंने तो प्रवर समिति को भेजा, कहा या जनमत जानने के लिए, परिचालित कराने के लिए कहा उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें, आपत्ति की नहीं बताईं सिर्फ कहा कि इस पर पूरा विचार होना चाहिए । महोदय, सदन अभी स्वतंत्र है इस पर जितनी देर चाहे विमर्श हो सकता है, अपने-अपने सुझाव दे सकते हैं लेकिन महोदय, जो हमारे अजय कुमार सिंह जी ने कहा, उन्होंने एक नई शिक्षा नीति की चर्चा कर दी कि इसको नई शिक्षा नीति में शामिल कराया जा रहा है । उन्होंने इसके उद्देश्य एवं हेतु को पढ़कर इन्होंने कहा कि इसको नई शिक्षा नीति में लाने या शामिल करने की बात हो रही है । शायद अजय जी ने, आपने पहली पंक्ति ही पढ़ीं, उसके बाद भी पढ़ लीजिए कि यह नहीं है, इसमें जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड का मैंडेट है या इसके नियम हैं, इसकी बनावट है, इसकी जो देखरेख करनी है उसको उसी के नीचे पढ़िए, व्यावहारिक और साध्य बनाने के लिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ा जा रहा है, कोई उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है । महोदय, जो संशोधन है इसी से स्वयं स्पष्ट हो जाएगा । अब आप बताइए...

(व्यवधान)

वही बता रहे हैं, बता रहे हैं न । पहले तो ये लोग जो बोलें उसको भी न देख लें । अब लाये क्या-क्या हैं और क्यों हैं, सब बता रहे हैं । इसमें हम, 4 ही इसकी धाराओं में संशोधन कर रहे हैं चार खंड में । एक खंड जो चौथे खंड का दूसरा हिस्सा है, चार (ii) में, अब समझिए कि उसमें जो बोर्ड के सदस्य होते थे

उसमें सिर्फ निदेशक का प्रावधान किया हुआ था और अमूमन संस्कृत शिक्षा बोर्ड या मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े जो अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, वे अमूमन विशेष निदेशक होते हैं, तो सिर्फ उसमें निदेशक या विशेष निदेशक किया जा रहा है, इसमें आपको क्या खराब मोटिव लग रहा है ? इसमें क्या खराबी है ? यह पहला संशोधन था । महोदय, दूसरा संशोधन जो हमने कहा विघटन करने का अधिकार, यहां तक कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जैसे महत्वपूर्ण संस्था को भी विघटन करने का अधिकार सरकार के पास है । महोदय, अगला संशोधन जो है अब आप समझिए कि इसमें पहले जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड भंग हो जाता था तो उसका वही कोई विशेष निदेशक उसकी देखरेख करते थे, उसके प्रशासक बन जाते थे, अब सरकार इस संशोधन से प्रावधान कर रही है कि अब अगर बोर्ड विघटित होगा तो उसमें एक प्रशासक होगा जो सचिव स्तर से अन्यून नहीं होगा । जो पहले एक स्पेशल डायरेक्टर होता था, महोदय, अब वह सचिव स्तर का अधिकारी होगा । अब बोलिए कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड की इज्जत हम बढ़ा रहे हैं कि आप जिसके लिए चिंतित थे सो हो रहा है यह समझने की बात है । महोदय, इसी तरीके से इसके खंड–25 में जो संशोधन है, अब उसमें प्रशासक का प्रावधान करके और आप कह रहे थे, अजय जी ही कह रहे थे कि संस्कृत शिक्षा के, संस्कृत भाषा के तह तक जाना होगा । संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो मैंडेट में था, भाषाई ज्ञान के या उसके शोध के बारे में, काम करने के लिए उसमें कहां कोई तब्दीली हो रही है, वह मैंडेट तो पूर्ववत है । हम तो सिर्फ इसको जो व्यावहारिक और साध्य बनाने के लिए इसमें हम और अलग से विज्ञान की पढ़ाई, मानविकी, ह्यूमैनिटी फिर व्यावसायिक शिक्षा, यह सब अगर संस्कृत शिक्षा पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, वे संस्कृत विषय या उस भाषा के अलावा विज्ञान मानविकी या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन छात्रों की भलाई के लिए है कि उनके नुकसान के लिए है । यह संस्कृत शिक्षा को और ज्यादा उपयोगी और आज के समय में भी प्रासंगिक बनाने का काम है । महोदय, इसलिए जो पहले से प्रावधान है उसमें कहीं कोई डिलूशन नहीं हो रहा है यह अतिरिक्त किया जा रहा है और उसके अलावा और अभी विघटन की बात कह रहे थे । महोदय, विघटन के बाद आपलोगों को मालूम होगा कि इतने लंबे समय तक बोर्ड का गठन नहीं होता था और हमने इसमें प्रावधान किया है कि विघटन के बाद जो सचिव स्तर के प्रशासक होंगे, लेकिन सरकार के लिए अब बाध्य होगा कि वह तीन महीने के अंदर संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन कर दें, अब बोलिए संस्कृत शिक्षा के हित में है या खिलाफ है, यह आप बताइए ? हम कर रहे हैं सब्सीट्यूट, महोदय, संस्कृत शिक्षा के हक में, संस्कृत

शिक्षा या उससे जुड़े शिक्षकों या छात्रों की भलाई के लिए हम कर रहे हैं, इनको नवीनतम शिक्षा प्रणाली से भी जोड़कर संस्कृत शिक्षा पढ़ने वाले छात्रों का वर्तमान समय में भी हम उनकी प्रासंगिकता बढ़ा रहे हैं इसलिए इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है । महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आई कि इनलोगों ने क्या समझ कर इसका ना या हाँ क्या बोल रहे थे और जो भी आपकी आशंकाएं हैं, जो भी आपको भ्रम है वह सब दूर करने के लिए हम तैयार हैं । जो 4 संशोधन हैं, चारों के संबंध में हमने बता दिया है, चारों प्रासंगिक है इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित करिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आगे है, अगला आ रहा है । इसके बाद वाला में आएगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

टर्न-18/आजाद/29.02.2024

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, इस विधेयक को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस विधेयक को लाने का एकमात्र उद्देश्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करना है । सरकारें आती हैं और जाती हैं लेकिन संस्थाओं को इस तरह से भंग करते जाना स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी संशोधन दूसरे नम्बर पर है ।

अध्यक्ष : आपका सेकेंड में है, केवल प्रथम को लिया जाता है । बैठ जाईए । आप स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलियेगा, आपको बोलने का अनुमति देंगे ।

(व्यवधान)

नहीं । आगे बोलियेगा न, आगे जब अवसर मिलेगा, तब बोलियेगा ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अख्तरूल ईमान शाहीन : जी, सर मूव करता हूँ ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक 31 मार्च, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, यह संशोधन विधेयक जो है, वह मदरसा बोर्ड की स्वतंत्रता और इसकी ऑटोनॉमी को खतम करने की एक सोची-समझी साजिश है । भारत के संविधान के आर्टिकल 30(1) में यह साफ है कि सरकारें माइनोरिटी इन्स्टीच्यूशंस में किसी तरह का इन्टरफेयर

करने का अधिकार उसको नहीं है । उसके बावजूद मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो उद्देश्य है, वह धार्मिक शिक्षा देना प्राथमिकता है, साथ ही अन्य शिक्षा प्राप्त करने का इसमें आवश्यकता होती है । इस संशोधन से मदरसा का उद्देश्य प्रभावित होगा, इसकी स्वतंत्रता, इसकी ऑटोनॉमी खतरे में पड़ेगी । यह पूरी तरह से सरकार के अधीन हो जायेगी और भविष्य में मदरसा के उद्देश्य ही समाप्त हो जायेंगे और जेनरल स्कूल की तरह इसकी व्यवस्था होने लगेगी । इसीलिए हमलोग ऐसे भी देख रहे हैं कि मदरसा जिस तरह से अन्य बोर्ड है, जैसे बिहार में बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, उसको सरकारें जितनी प्राथमिकता देती है, जितना फंडिंग करती है, जितना बजट देती है, उस हिसाब से मदरसा शिक्षा बोर्ड का नहीं कर रही है । स्टुडेंट-टीचर्स रेसियो को ही देख लीजिए, जिस तरह से अन्य बोर्ड में है, उस तरह से नहीं है और न मॉडर्न एजुकेशन के लिए न उसका लैब वगैरह इक्यूपमेंट के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है । इसलिए सरकार का जो उद्देश्य है, वह उसके ऑटोनॉमी को खतम करना है । महोदय, यह संशोधन आनन-फानन में लाया गया है ।

अतः इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय और इसको जनमत के लिए भेजा जाय और फिर इसको यहां लाया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक 31 मार्च, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव । इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि दोनों सदनों के माननीय सदस्यों वाली एक समिति इस विधेयक के गुण-दोष को जॉच कर लें और एक अच्छा सुविचारित विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हो ताकि इसमें निकट भविष्य में संशोधन की आवश्यकता नहीं हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित 5(ii) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह ''मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, पटना में उर्दू विभाग के'' के स्थान पर शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को पदासीन किया जाय और बोर्ड अच्छा काम कर सकें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित 5(ii) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह ''मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, पटना में उर्दू विभाग के'' के स्थान पर शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय में'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित उप-धारा (3) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय-

''परन्तु यह कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति का जांच प्रतिवेदन सरकार जब तक प्राप्त न कर लेगी तब तक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग नहीं किया जा सकेगा ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि मदरसा बोर्ड को भंग करने के पूर्व जाँच करा ली जाय, यदि कोई अनियमितता नहीं हो रही है तो भंग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित उप-धारा (3) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय-

''परन्तु यह कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति का जांच प्रतिवेदन सरकार जब तक प्राप्त न कर लेगी तब तक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग नहीं किया जा सकेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-5 में 4 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित उप-धारा (6)(क) को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि इस विधेयक के अधिनियमित होते ही मदरसा बोर्ड स्वत: भंग नहीं हो । इसी सरकार ने गठन किया है तो भंग करने का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित उप-धारा (6)(क) को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित उप-धारा (7)(क) की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''हेतु'' एवं शब्द ''विशेषज्ञों'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया ताकि विशेषज्ञों को समिति में और राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात लोग रहें और अच्छे सुझाव दे सकें, इसलिए हमने यह संशोधन दिया है ।

टर्न-19/पुलकित/29.02.2024

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित उप-धारा (7)(क) की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''हेतु'' एवं शब्द ''विशेषज्ञों'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित उप-धारा (7)(ख) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह ''राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा जिसमें'' के स्थान पर शब्द समूह ''विशेषज्ञ समिति में'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि यह शब्द समूह दोहराया गया है इसलिए यह निरर्थक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित उप-धारा (7)(ख) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति के शब्द समूह ''राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा जिसमें'' के स्थान पर शब्द समूह ''विशेषज्ञ समिति में'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित उप-धारा (7)(ख) की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''करेंगी'' एवं शब्द ''समिति'' के बीच शब्द समूह ''अन्यथा समिति स्वत: भंग हो जायेगी'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि गठित समिति अन्नतकाल तक नहीं चले बल्कि यदि एक माह के अंदर निश्चित रूप से अपनी सिफारिश राज्य सरकार को नहीं दे तो स्वत: भंग हो जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित उप-धारा (7)(ख) की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''करेंगी'' एवं शब्द ''समिति'' के बीच शब्द समूह ''अन्यथा समिति स्वत: भंग हो जायेगी'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

(व्यवधान)

मंत्री जी को प्रस्ताव पुट करने दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : अब आप बोलिये ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, स्टैचुटॉरी संस्था है । सर, इस सदन में हमारा और आपका आना और आपका संरक्षण देना । महोदय, सबसे बुनियादी काम यह है कि यह संस्था कानून बनाने के लिए है । कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमारा बुनियादी काम है । यहां पर मैंने अबतक जो चार बार विधायक बना और 12-13 सालों का मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि एक कोमा, फुलस्टॉप भी चेंज नहीं होता है जो बिल्कुल पेस्ट किया जाता है । हां पक्ष और ना पक्ष यही दोनों शब्द दोहराये जाते हैं और नतीजा यह होता है कि जल्दबाजी में बनाये गये कानून में एक-एक साल में तीन-तीन बार संशोधन आया है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नई परिपाटी को कायम कीजिए और इन मुद्दों पर लोगों को खुलकर बात करने का मौका दीजिए । महोदय, मैं चूंकि माइनॉरिटी से आता हूं और मदरसा एजुकेशन बोर्ड

माइनॉरिटी की इदारा और संविधान की धारा 30(1) के तहत हमको अपने पंसद के इदारे कायम करने की इजाजत है और यह सरकार जो सन् 1981 का मदरसा एजुकेशन बोर्ड अधिनियम है उसके खिलाफ इस बिल को लेकर आई है । धारा 5 जो गठन की बात करता है आप अगर इसको पुनर्गठित करना चाहते हैं तो आप उसमें तरमीम लेकर आयें लेकिन इसमें जो धारा 29 है । महोदय, धारा 29 में आपने जो तब्दीली आई हैं यह बड़ी आपत्तिजनक है । आपत्तिजनक यह है कि आप बोर्ड को विघटित कर देते हैं, बोर्ड को विघटित करने का आपको हक नहीं होता है । आप बोर्ड को विघटित करने के बाद आप उसमें अपना एडमिनिस्ट्रेटर बहाल करते हैं धारा-ख के मुताबिक । वह एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करेगा ? वह एडमिनिस्ट्रेटर हमारे इस इंस्टीट्यूट को भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ने का काम करेगा ।

मान्यवर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट हैं उसको यह हक हासिल होता है कि वह अपने पंसद के इदारे कायम करें और हुकूमत की यह जिम्मेदारी होती है कि माइनॉरिटी की भाषा और संरक्षण को उपाय दें ।

(व्यवधान)

महोदय, संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें । शांति से सुनिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, हमारे बनाये गये कानून पर, अगर हमारी भाषा को मिटा देना चाहते हैं तो हमारी गर्दनों को काट देने का फैसला लोगों ने कर लिया है तो हम कमजोर हैं आप कर सकते हैं । लेकिन अगर न्याय स्थापित है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र के आप संरक्षक है तो हमारी बातों को सुनना चाहिए ।

अध्यक्ष : आप कमजोर नहीं है । आप तो मजबूत आदमी है ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं आपका आभारी हूँ ।

अध्यक्ष : मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बोलिये ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 2014 के केस नं0-18, 2014-18, सुप्रीम कोर्ट केस नं0-1 प्रमति एजुकेशनल कल्चर एंड ट्रस्ट वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो आया है पांच बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जरिए से जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में यह कहा गया है कि साहब एन0सी0ई0टी0 की पॉलिसी आर0टी0ई0 2009 का मदरसा और माइनॉरिटी स्कूल में चाहे ग्रांट देते हों या नहीं ग्रांट नहीं देते हों । आप राईट टू एजुकेशन के तहत नई शिक्षा पॉलिसी को हमारे इदारे में कायम नहीं कर सकते हैं,

हम जितना चाहेंगे । हम अपग्रेड करने के मुखालिफ नहीं है । एजुकेशनल सिस्टम को अपग्रेड कीजिए, अब तक सरकारों ने कभी भी मदरसा एजुकेशन में, साईंस की एजुकेशन के लिए न तो टीचर बहाल किये, न टीचरों की जगह बनाई, न आपने मकान दिये । हम आपको कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते हैं लेकिन पिछले दिनों में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। इसलिए हमारे एजुकेशनल स्ट्रैक्चर को आप बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि आर्टिकल 31 जो अकलियतों को अपनी तालीम इदारा कायम करने का देता है, उसमें कम्पल्शन नहीं है कि बिहार की नयी एजुकेशन पॉलिसी हमपर आप कायम करें । आप एडमिनिस्ट्रेटर बहाल कर लेंगे वह पांच लोगों की कमेटी बनायेगी कि किस तरह से 2020 के एजुकेशन पॉलिसी है वह नाफिज किया जाएगा । उसमें एक उर्दू का जानकार रहेगा बाकि कोई नहीं रहेगा । आप एडमिनिस्ट्रेटर को बहाल कर देना चाहते हैं तो क्या वह हमारे बोर्ड का होगा ? मैं चाहता हूं कि आप धारा 5 में तब्दीली लाये उसके पुनर्गठन के लिए । आपने अपने उद्देश्य में भी कहा है कि हम 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी को लाना चाहते हैं और आपने प्रस्तावना में भी कहा है कि पुनर्गठित और पुनर्संगठित हम करना चाहते हैं । हम इससे इंकार नहीं करते लेकिन हम चाहते हैं कि धारा 19 में कोई तब्दीली नहीं लाये, अगर धारा 19 में तब्दीली लायेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है । भारत के संविधान 30(1) के खिलाफ है इसलिए हम यह कहते हैं, हम आपसे जल्दबाजी नहीं करने के लिए कहते हैं । हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप इसे प्रवर समिति में भेज दीजिए और कुछ दिनों के लिए समझने का मौका दीजिए । अगर माइनॉरिटी के हित में काम करते हैं तो माइनॉरिटी के एम0एल0ए0 भी हैं, माइनॉरिटी की हमारी संस्थाएं हैं, हमारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उसके साथ एक बहस कर लीजिए, समझा दीजिए । हम आपकी नीयत पर शक नहीं करते हैं लेकिन हमें समझने का मौका दीजिए । अगर हमें समझने का मौका नहीं चाहते हैं अपनी ताकत के बल पर, अपनी अक्सरियत के बल पर, मेजोरिटी के बल पर यह कानून पारित करना चाहते हैं तो इसके मायने हैं कि अकलियतों की जुबान, कल्चर उसकी मजहबी तालीम को खत्म करने की नीयत रखते हैं और ऐसा मैं समझता हूं आप नहीं होने देंगे । ये चन्द बातें आपने मेरी सुनी बहुत-बहुत शुक्रिया ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, हो गया । श्री शकील अहमद खां ।

श्री अखतरूल ईमान : और एक बात आखिरी में कहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं जब चाहेंगे विघटित कर देंगे यानी जब सरकारें अलटेंगी-पलटेंगी तो आप तमाम संस्थाओं को

भी अलटते-पलटते रहेंगे । आपकी मर्जी के मुताबिक तीन साल के लिए, पांच साल के लिए जहां चेयरमैन हो गया, रहने दीजिए ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री अखतरूल ईमान : अलटने-पलटने का असर संस्था पर मत पड़ने दीजिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री शकील अहमद खां ।

श्री महबूब आलम : महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष : आप बैठिये, उनका नाम पुकारा है मैंने ।

श्री शकील अहमद खां : माननीय वजीरे तालिम ने संस्कृत बोर्ड के वक्त अपनी एक बात कही थी और सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं ।

(क्रमशः)

टर्न-20/अभिनीत/29.02.2024

..क्रमशः..

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, मुझे संस्कृत बहुत प्यारी है । आपको पता है कि मैंने ओथ भी संस्कृत में लिया था, तो You can't question my Integrity. Don't question my Integrity. वजीरे तालीम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि बोर्ड या कोई भी जो बोर्ड बनाते हैं या आयोग बनाते हैं तो वह सरकार के अंदर ही होती है इसमें कोई शक नहीं है और जब हम यह पाते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो हम टाइम-टू-टाइम..

अध्यक्ष : शकील साहब, एक बात सुन लीजिए । केवल आप ही तालीम संस्कृत में लिये हैं ऐसा नहीं है, मैंने भी उर्दू में तालीम लिया है । बोलिए तो मैं ककहरा पढ़कर सुना दूं ।

श्री शकील अहमद खाँ : बहुत शुक्रिया । यह हिन्दुस्तानी जुबान है और हमारे जुबान की यह खूबसूरती है ।

अध्यक्ष : अली बे, ते, से, जिम, ए, खे, रे, जे, सीन, डाल, मैं भी जानता हूं, ऐसा नहीं है । बोलिए ।

श्री शकील अहमद खाँ : इसमें कोई शक नहीं सर । मुझे आपका संरक्षण प्राप्त है और यह जुबान, यह प्यारी जुबान हिन्दुस्तान की जुबान है और सबलोग इसका इस्तेमाल करते हैं । बहरहाल मैं सिर्फ यह कह रहा था शिक्षा मंत्री से कि आपने यह कहा कि गड़बड़ियां पायी जाती हैं तो उसको टाइम-टू-टाइम सुधारा जाता है । आप मुझे यह बता दें कि पिछले 15 दिनों में इन तमाम बोर्ड में आपको गड़बड़ियां नजर आयी या दस-बीस साल से ये गड़बड़ियां नजर आ रही थी नंबर वन, Why I'm saying

? क्योंकि इस तरह का कोई अधिनियम 10 सालों में कोई आया है क्या ? क्या आपने गड़बड़ियां नहीं देखी थी ? मैं उस संटेंस का जवाब जानना चाहता हूं नम्बर वन । दूसरी बात है कि हमको यह मालूम है और यह बात मालूम थी आइन बनाने वाले लोगों को कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि कुछ लोग आइन की बहुत सारी बातों को नहीं मानेंगे । जम्हूरियत में यह तय है..

(व्यवधान)

मैं जानता हूं आपकी नीयत को । जम्हूरियत में अकसरियत, अकलियत की तरफ न जायें बल्कि आइन की जो रूह है वह रूह यह है कि तमाम लोग जो इस देश के वाशिंन्दा हैं उनकी जुबान की, उनके कस्टम्स की रक्षा की जाय । यह आइन का हिस्सा है और इस हिस्से को बनाने में बाबा साहेब अम्बेदकर का आइन हमको संरक्षण देता है । यही बात अखतरूल ईमान कह रहे थे कि संरक्षण हमको बाब साहेब देते हैं और आपको याद रखना चाहिए कि कंस्टीच्युशन जब बन रहा था तो वह जो कमेटी थी उसने क्या-क्या फैसले किये, पढ़िये उसको, इसलिए संरक्षण आपका अध्यक्ष जी हमलोगों को प्राप्त है, यह बात जेहन में रख लेनी चाहिए कि जब तक हिन्दुस्तान का यह आइन है तब तक उसके दिये गये हकूक के लिए हम चाहे जहां तक भी हो सके हम एहतियात के साथ, मुल्क के तमाम लोगों के साथ मिलकर उस आइन को बचाने की कोशिश करेंगे । उसी जुमरे में जो बात अखतरूल ईमान ने कही है कि आर्टिकल 31 के तहत जो हमारे मराज दिये गये हैं, जो हमारे फॉर फादर्श ने दिए हैं उन लोगों ने इसलिए दिया था कि ऐसे हालात न पैदा हों कि जहां आपकी जुबान, आपके कल्चर, आपके, और मुल्क तो हमारा विभिन्नताओं का है और इस विभिन्नताओं के मुल्क में यह आइन सबसे बड़ी हमारी पूंजी है । उसको बरकरार रखते हुए वह बात कही गयी है और उसका उपहास किस जेहनीयत से उड़ाया जा रहा है । इस सदन में उसका मजाक किस जेहनीयत से उड़ाया जा रहा है, सवाल यह है । मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में उसका मजाक और उड़ाया जायेगा लेकिन यकीन मानिए इस मुल्क के लोग जिन्होंने आजादी में अपने सर कटाये हैं तो इस आइन को बचाने में भी अपनी पूरी जद्दोजहद करेंगे । मैं माननीय वजीरे तालीम से पूछना चाहता हूं कि जो आप विधेयक ला रहे हैं, आपकी नीयत पर जरा भर भी शक नहीं है । कोई भी समय पुराने समय से बेहतर हो सके, मदरसा बोर्ड के जरिए चलने वाले जितने भी हमारे मदारिस हैं वह बेहतर से बेहतर हो सकें । उसमें नये सब्जेक्ट्स आ सकें लेकिन सब्जेक्ट के साथ क्या मदरसा बोर्ड के बजटिंग को आप बढ़ायेंगे ? क्या मदरसा बोर्ड को आप यह देंगे कि उसके अंदर बेहतर से बेहतर लोग आ सकें । क्या नये

सब्जेक्ट्स के साथ नये टीचर बढ़ायेंगे । ये बहुत सारी बातें चली आ रही हैं । अगर यह सब प्रावधान है तो We most welcome you अगर यह प्रावधान इसमें नहीं है तो इसका Welcome कैसे करेंगे । इसलिए उस पर एक बहस कर लेनी चाहिए और बहस के बाद हमलोगों को यह लाना चाहिए । सिर्फ अकसरियत और अकलियत यह बात न करें खुदारा, इससे कोई बेहतर नहीं है । जनमत जान लिया जाय, हमको लगता है 99 परसेंट आप जो बात कह रहे हैं उसके ही पक्ष में जनमत हो । ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी नीयत पर मुझे शक नहीं है । यही बात, दो बात मुझे कहनी थी ।

आपलोगों से महानुभाव, कहना है कि क्या मैं आपके भाई के जैसा दिखता नहीं हूं ? जो ऐसे सवाल आप उठाते हैं । क्या उर्दू जुबान की शायरी आपको अच्छी नहीं लगती ? हजरत जब शायर, शेर कहते हैं तो जुबान आपको अच्छी नहीं लगती..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया अब बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य महबूब साहब ।

श्री शकील अहमद खाँ : आप जो उपहास, आप जो मजाक उड़ाते हैं, कृपया मजाक उड़ाना बंद कर दें । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । नहीं, बैठिए आप । बोलिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, एक शेर को मैं पढ़ रहा हूं कि यह जो अमेंडमेंट चौधरी जी ने लाया इसे गालिब ने कहा कि

''हमको मालूम है जन्नत की हकीकत,
लेकिन दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है गालिब ।''

महोदय, कंस्टीच्युशन का आर्टिकल 30 (1) of the Constitution, all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Religious and Linguistic minorities, therefore, have a special constitutional right to establish and administer educational schools of their choice and this Court has repeatedly held that the State has no power to interfere with the administration of minority institutions and can make only regulatory measures and has no power to force admission of students from amongst non-

minority communities, particularly in minority schools, so as to, तो यह महोदय, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूं । कंस्टीच्युशन का आर्टिकल 30 (1) बोलता है कि अगर 15 आदमी को 85 आदमी के खिलाफ लड़ाई में उतार दिया जाय तो 15 आदमी का डिफिट निश्चित है । इसलिए हमारे कंस्टीच्युशन में भाषा, धर्म, राइट, कॉस्ट्यूम्स को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमारे विभूतियों ने बाबा साहब अम्बेदकर के नेतृत्व में यह अधिकार हमको दिया है । आपको अगर एतराज है कि मदरसा बोर्ड के फलाना-फलाना मेम्बर को, आर0जे0डी0 वाले को, माले वाले को नहीं रखना है तो आप डायरेक्शन दे दीजिए लेकिन उसकी जो ऑथोरिटी थी once it is held for three years तीन साल का पीरिएड होता है महोदय, इसलिए इसके ऑटोनोमी को, ऑटोनोमस स्टेटस को बरकरार रखा जाय, बहाल रखा जाय । आप अगर मैजोरिटी के ताकत पर मॉइनोरिटी के इशूज को दबाना चाहते हैं तो यह कंस्टीच्युशन की हत्या है और कंस्टीच्युशन की हत्या की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है भाजपा के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के जरिए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : इसलिए महोदय मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए हम चाहेंगे कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय । जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय और मॉइनोरिटी की भावनाओं का..

अध्यक्ष : अब बैठा जाय । नहीं, अब बैठा जाय ।

श्री महबूब आलम : सम्मान किया जाय । महोदय, मॉइनोरिटी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाय और यह पांच बेंच का, कंस्टीच्युशनल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऑर्डर है, वर्णित है it can never be violated.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया ।

श्री महबूब आलम : इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट बिहार कंस्टीच्युशन के बेंच का जो फाइव बेंचेज है उसका भायोलेशन है महोदय और इसलिए हमारा दायित्व है इस बात को रखने का और आपके माध्यम से सदन का भी ध्यान आकृष्ट करते हैं और बिहार की जनता का भी ध्यान आकृष्ट करते हैं कि एन0डी0ए0 सरकार के मातहत..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया ।

श्री महबूब आलम : किस तरह से कंस्टीचयुशन का भायोलेशन करते हुए मॉइनोरिटीज के क्लाउज को दबाया जा रहा है । महोदय, यह बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए इस पर गौर किया जाय । प्रवर समिति में भेजा जाय । जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत रहिए, शांत रहिए । माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखिए । बोलिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक में या तो कुछ संशोधन प्रस्ताव दिये या खासतौर से स्वीकृति के प्रस्ताव पर जो डॉ0 शकील अहमद खाँ, अखतरूल ईमान, अख्तरूल इस्लाम शाहीन और सबसे ऊपर में सदन के महबूब, महबूब आलम, महोदय, इन लोगों ने कुछ गंभीर चीजों की ओर इशारा किया है । चीजों को इन्होंने गंभीर बनाकर जरूर पेश किया है ।

(व्यवधान)

आप बोल रहे थे तो हम कुछ बोल रहे थे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुना जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : कभी-कभी सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए । महोदय, इन्होंने गंभीर बनाने की कोशिश जरूर की है..

..क्रमशः..

टर्न-21/हेमन्त/29.02.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री(क्रमशः) : लेकिन गंभीरता कहां है ? खासतौर से एक चीज का मैं पहले ही जिक्र करना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 31 की चर्चा दो-तीन माननीय सदस्यों ने की है कि इनको आजादी है अपनी मर्जी से अपने धार्मिक उसूलों के अनुरूप इदारे बोलने की । महोदय, इस संशोधन विधेयक में किस संशोधन से इनको लग रहा है कि इदारे बोलने की मनाही हो गयी । किस संशोधन से लगता है ? तो जबरदस्ती किसी बात की मतलब महोदय, यह तो वही बात है कि-

''वो बात जिसका जिक्र न था जमाने में, वो उन्हें नागवार गुजरी है ।''

महोदय, इसमें कहीं-कोई जिक्र नहीं है, इदारे में इंटरफेयर करने की और संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिये जा रहे हैं । मैं इतना साफ बता देना चाहता हूं कि इस मुल्क की आईन किसी को मानने या किसी को नहीं मानने की कोई इजाजत नहीं देता है और हमारी सरकार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए हुकूमत है, वह किसी भी सियासी दल से अधिक कानून के मुताबिक काम करने पर आमादा है । यह हम आपको बता देना चाहते हैं । महोदय, आप जरा सोचिये कि अभी तो कह रहे थे, शकील जी भी कह रहे थे कि आप इसमें क्या विषय देना चाह रहे

हैं। आप बोलिये कि आपने जो मदरसे में पढ़ाई का करिकुलम बनाया है, तो सेलेबस बनाया है उसमें कहीं-कोई तब्दीली की बात है ? क्यों खामाखां मुश्तबा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ? क्यों खामखाह संदेह का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ? ऐसा क्या है इसमें ? महोदय, इनकी जिस प्रणाली से, जिस पद्धति से पढ़ाई चल रही है उसमें कहीं भी किसी किस्म के परिवर्तन की कोई बात नहीं है । आप बताइये शकील साहब या अखतरूल ईमान जी से हम जानना चाहते हैं कि अगर आपके छात्र, जो मदरसा में पढ़ते हैं वह दीनी तालीम के अलावा अगर विज्ञान पढ़ लें, अगर मानविकी यानी ह्यूमेनिक्स पढ़ लें, अगर कोई उसमें, जो आज के व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, जो कॉमर्शियल सेलेबस है, अगर दीनी तालीम के अलावा आपके बच्चे ये पढ़ लें, जो उनको वर्तमान परिवेश में अलग से मददगार साबित होगा, तो इसमें आपको एतराज है ? इसमें आपको एतराज है ? इसका मतलब इसमें एतराज करने का मतलब है कि ये अपने अक्लियत समाज के बच्चों को आगे आने वाले समय में, जो सही तालीम है उससे मरहूम रखना चाहते हैं । महोदय, यह साजिश का तरीका है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये । आपकी बात सुनी गयी, अब उनकी बात सुनिये । बैठिये, बैठ जाइये । बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं । अब हम जो संशोधन कर रहे हैं, महोदय, एक चीज और गौर करने की बात है कि यह संशोधन अभी थोड़ी देर पहले, जो बाल श्रमिक आयोग संशोधन है उसमें भी यह क्लॉज आया था, अभी जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक था उसमें भी यह क्लॉज आया था और इसमें भी यह क्लॉज आया है, लेकिन इस तरह की हाय-तौबा तो किसी में नहीं मचायी गयी थी । यह खामाखां, हम पूछते हैं कि आप बताइये कि मदरसा बोर्ड को अगर उसमें अध्यक्ष, उनकी क्वालिफिकेशन फिक्स करके अधिक-से-अधिक या अधिकतम योग्य व्यक्ति अध्यक्ष पद पर आयें, इसमें आपको एतराज है क्या ? तो वही तो संशोधन है, वही तो संशोधन है । महोदय, जो हमने कहा कि प्रशासक की नियुक्ति की बात कहते हैं, प्रशासक की नियुक्ति कोई आज नहीं हो रही है । बीच में जब कभी मदरसा बोर्ड का अवक्रमण या विघटन होता था, तो हमारे विभाग का, शिक्षा विभाग का कोई स्पेशल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी उसका प्रशासक जैसा काम करता था । अब सरकार ने विधिवत् प्रशासक पद का सृजन करके यह प्रावधान किया है कि उस पर सचिव स्तर से कम के कोई अधिकारी

नहीं जा सकते हैं । अब बोलिये, यह मदरसा शिक्षा का स्तर का हम लोग, या मदरसा बोर्ड का स्तर हम लोग ऊंचा उठा रहे हैं कि नीचा ला रहे हैं । आपको स्पेशल डायरेक्टर की सरपरस्ती मंजूर थी, लेकिन सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की सरपरस्ती मंजूर नहीं है, यह कौन-सी बात है । महोदय, इसी तरीके से हमने जो कहा है, यह सबसे पहले साफ कर देना चाहते हैं कि मदरसा में जो आपका अपना सेलेबस है उसमें आर्टिकल 31, जिसकी चर्चा सब लोग करते हैं उसके तहत उसको मानते हुए हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं । आपसे ज्यादा आईन की हिमायत करने वाले हम लोग हैं । महोदय, जो हमने कहा कि उसमें एक विशेषज्ञ की समिति बनायेंगे, आगे कैसे काम करना है, यह हम लोग कहना चाह रहे हैं, और जान लीजिए कि इसमें अखतरूल जी, हमने प्रावधान किया है कि पहले महीनों-वर्षों तक यह सुपरसेडेड रह जाता था, विघटित रह जाता था, लेकिन हम इसमें मेंडेट्री प्रोविजन कर रहे हैं कि अगर आज विघटित होता है तो तीन महीने के अंदर सरकार निश्चित रूप से बोर्ड का गठन कर देगी । यह आपके पक्ष में है कि विपक्ष में है, आप बताइये और बिना सोचे कह रहे हैं कि हम उल्टा कर रहे हैं । महोदय, यह खामाखां, जो हमने कहा कि ऐसे संशोधन अनेक अधिनियमों में किये जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का, जो हमने कहा मुश्तबा या संदिग्ध माहौल, इस तरह खराब नहीं करना चाहिए । इससे कोई फायदा नहीं होता है । महोदय, ये सब लोग जानते हैं और महोदय, एक चीज का और हम जिक्र करना चाहते हैं कि जब हम मदरसा से संबंधित, आप जिक्र भी कर रहे थे, नियमावली बना रहे थे उसमें जब हमने मदरसा की जो कमेटी होती है, जो मुदर्रिस या सदन मुदर्रिस बहाल करती है उसमें हमने उसको विज्ञापन निकालकर अधिक-से-अधिक योग्य के लिए बहाली की थी, उस समय भी इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गयी थी । हम करते हैं आपके हित में, साजिश चल जाती है हम ही को खिलाफत बनाने की ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट ।

माननीय सदस्यगण, आज के दिन निर्धारित कार्यों का निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम अधिक नहीं कहना चाहते हैं । यह तो जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के संशोधन में आया था बस यह उसी के समरूप है, उसी का मिरर इमेज है । उसी तरीके से इसमें भी कर रहे हैं और आज इस मौके पर हम इस सदन के माध्यम से पूरे सूबे के अल्पसंख्यकों को इत्मीनान करना चाहते हैं कि

आप बेफिक्र रहें । यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत है । हम आपकी हिफाजत के अलावा आपके फलाह-ओ-बहबूद के लिए भी सारे इंतजाम हम इंतजामात मुस्तहब कर रखेंगे, यह आप पूरा भरोसा रखें और याद रखिये कि ये सूबे के अल्पसंख्यक जमात के लोग जानते हैं कि उनके फलाह-ओ-बहबूद के लिए हम ही ने किया है, हम ही करेंगे, यह हम बता देना चाहते हैं । महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यह सदन इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ।

टर्न-22/धिरेन्द्र/29.02.2024

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, प्रस्तावना में यह लिखा हुआ है कि जाति आधारित गणना 2022-23 में पता चला कि मुस्लिम अल्पसंख्यक के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी बिहार में रहते हैं । जैसे-ईसाई, बौध, जैन, सिख और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं । यह आश्चर्यजनक और हास्यपद है कि जाति आधारित गणना के पूर्व सरकार को यह पता नहीं था कि राज्य में मुस्लिम के अतिरिक्त भी अल्पसंख्यक रहते हैं । इसलिए मेरी समझ से इसके सिद्धांत पर विमर्श की आवश्यकता है । साथ ही, इसके लाने का उद्देश्य भी स्पष्टतः अल्पसंख्यक आयोग को भंग करना है । इसलिए भी मैं इसके विरोध में हूँ । संस्था आपने गठित की और आप ही भंग करने के लिए कानून बदल रहे हैं । यह अच्छी परिपाटी नहीं मानी जा सकती ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक-31 मार्च, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, यह संशोधन आयोग की गरिमा, स्वतंत्रता एवं उसके वैधानिक शक्तियों को सरकार अपने नियंत्रण में करने के लिए ला रही है । महोदय, जब से सरकार अपना सहयोगी बदली है उसी समय से आयोग एवं संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर एवं निष्क्रिय बनाने के लिए तैयार है । महोदय, सत्ता तो आती-जाती

रहती है लेकिन लिया गया निर्णय इतिहास बनाता है । इस तरह से संस्था का कमजोर बनाना जनहित में नहीं है । महोदय, यह संशोधन आनन-फानन में लाया गया है । अतः इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक-31 मार्च, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजय कुमार सिंह जी के द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा ।

अध्यक्ष : महासेठ जी, आज संध्या 7 बजे से सामूहिक भोज का भी इंतजाम है, सब ध्यान है न । सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रण भी है और सभी लोगों को आना है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

अध्यक्ष महोदय, कोई भी विधेयक जब पूरे विचार-विमर्श के बाद पारित होगा तो वैसी स्थिति में उस पर तुरंत फिर संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है । कई ऐसे विधेयक हैं जिन पर लगभग हर तीसरे सत्र में संशोधन आते रहते हैं । इसलिए मैंने यह कह दिया है और लगातार हमलोग इस बात के लिए रखते हैं कि कहीं-न-कहीं इस बात की चर्चा होनी चाहिए, जैसा पिछली बार भी माननीय मंत्री जी ने कहा । क्या जरूरत है, अगर तीन महीना प्रचारित किया जायेगा तो कौन-सा नुकसान हो जायेगा ? कोई ऐसा नहीं है, जब आप सोच लेते हैं, हरेक चीज से सत्र में कोई-न-कोई विधेयक इसी तरह का आ रहा है । रिपीटेशन-पे-रिपीटेशन हो रहा है तो हम समझते हैं, सरकार के लिए यह अच्छी बात होगी कि हमलोगों की भी बात मानी जाय, वैसे बहुमत में हैं तो जो आप बहाना कर समाप्त कर दीजिये लेकिन यह अच्छी बात नहीं है कि हरेक तीसरे सत्र में हमलोग देखते हैं कि यह आते रहता है । इसलिए हमें तकलीफ है, इस तरह

का पूरी तरह प्रचारित कर करने में सदन के लिए ज्यादा अच्छा होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित उपधारा (3)(i) को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि राज्य सरकार ने यह प्रावधान केवल आयोग को भंग करने के लिए ही किया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित उपधारा (3)(i) को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित उपधारा (ग) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय-

''परन्तु यह कि आयोग को तब तक भंग नहीं किया जायेगा जब तक कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की भंग करने की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जायेगी ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि किसी भी आयोग को बिना जाँच-पड़ताल के भंग किया जाना अलोकतांत्रिक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित उपधारा (ग) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय-

''परन्तु यह कि आयोग को तब तक भंग नहीं किया जायेगा जब तक कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की भंग करने की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जायेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में दो संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 19(i) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''सरकार'' और शब्द ''पाँच'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि राष्ट्रीय स्तर के गुणवान लोग विशेषज्ञ के रूप में आ सकें और उनका बहुमूल्य विचार का समावेश हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 19(i) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''सरकार'' और शब्द ''पाँच'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करूंगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 19(iv) की तीसरी पंक्ति के शब्द ''का'' को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, यह शब्द 'का' अतिरिक्त है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 19(iv) की तीसरी पंक्ति के शब्द ''का'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-23/संगीता/29.02.2024

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन)विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं प्रारंभ करना चाहूंगा, एक माननीय सदस्य ने कहा कि अन्य भाषाई अल्पसंख्यक भी बिहार में हैं इसकी जानकारी क्या सरकार को पहले नहीं थी कि मैं जो पढ़ रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा । अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसे अधिकारों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 अस्तित्व में है । इस अधिनियम में सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया है एवं मान्यता प्रदान की गयी है।

बिहार राज्य में मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे-इसाई, बौद्ध, जैन, सिख और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी बिहार में निवास करते हैं ।

अब सुनिएगा, बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 में अल्पसंख्यक समुदाय के भी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया गया है । जिससे यह प्रतीत हुआ है कि धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के कई विषयों को प्रभावी ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है । मकसद इसका यह है ।

राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि सभी अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषायी संबंधित मुद्दों/विषयों को बेहतर ढंग से परिभाषित करने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पुर्नव्यवस्थित एवं पुनर्गठित की जाय । इसी उद्देश्य के साथ विधान मंडल के वर्तमान सत्र में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पुर्नस्थापित किया गया है । इस संशोधन के माध्यम से अधिनियम में कुछ नये धाराओं को जोड़े जाने का प्रस्ताव है जिससे अधिनियम में प्रावधानित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके । अतः महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि इसे पारित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, हमें बोलने का...

अध्यक्ष : आप बोले ही नहीं तो क्या करूं मैं ? नहीं, यह नहीं तरीका है ।

(व्यवधान)

आप बोले ही नहीं, आप हाथ ही नहीं उठाए, हम नाम दिए । नहीं अब नहीं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

आप तो पुराने सदस्य हैं, आप जानते हैं कब कहना चाहिए और जब पिछली बार कहा तो सबको अनुमति दिया हमने, ऐसा थोड़े ही है । हमारी मंशा क्यों हो सकती है ऐसा, इसमें अपनी बात आप कहेंगे मुझे क्या आपत्ति है ।

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव दिया जाएगा । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

श्री अजीत शर्मा : जी महोदय, मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैंने इस सिद्धांत पर इसलिए विमर्श का प्रस्ताव दिया है क्योंकि सिद्धांत: मैं इसके लाए जाने के खिलाफ हूं । महोदय, आप देखेंगे कि इस विधेयक के प्रस्तावना में ही यह उल्लेखनीय है कि जबकि महिलाएं अभी भी विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करती हैं और असुरक्षित हैं । सरकार द्वारा यह उल्लेख दर्शाता है कि राज्य सरकार महिलाओं के साथ समानता का बर्ताव लागू करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में विफल है । किसी भी सरकार की तरफ से इस तरह की बात किसी विधेयक में लिखा जाना सरकार की स्वीकारोक्ति होगी इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : महोदय, इस संशोधन में आयोग को भंग कर नए सिरे से गठन का प्रस्ताव है जो कि संशोधन विधेयक के उद्देश्य में निहित है । सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण लंबे समय से राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का पद रिक्त था । महागठबंधन के सकारात्मक सरकार में अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का पद भरा गया था । कार्य प्रारंभ हुआ लेकिन सरकार के सहयोगी बदलते ही संवैधानिक संस्थाओं को भंग कर पुन: गठन करने पर विचार किया जा रहा है जो कि जनहित में नहीं है । महोदय, आयोग को सरकार के प्रभावहीन बनाना चाहती है । सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण का दंभ भरती है लेकिन इस संशोधन के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है । महोदय, इस संशोधन को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक-31 मार्च, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी मूव करेंगे सर । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि जितनी जल्दीबाजी में यह बिल लाया गया है उसका उद्देश्य केवल एक है राज्य महिला आयोग को भंग करना। आप जानते हैं कि राज्य महिला आयोग पिछले दिनों लगभग दो वर्षों तक बंद रहा और महिलाओं पर अत्याचार की सस्ती सुनवाई और समाधान का यह सशक्त फोरम निष्क्रिय रहा और फिर उसे भंग किया जा रहा है इसलिए इसे मैं लाया हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 को विलोपित कर पुनसंख्यांकित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि अनावश्यक रूप से महिला आयोग को भंग करने की मंशा से यह प्रावधान किया गया है । जैसा कि सरकार ने प्रस्तावना में स्वीकार किया है महिलाओं की सुरक्षा विफल रही है तो इसके लिए सरकार दोषी है और उसे जिम्मेवारी लेनी चाहिए लेकिन ठिकरा महिला आयोग के सिर फोड़ा जा रहा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 को विलोपित कर पुनसंख्यांकित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित उपधारा 4(3) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय–

''परन्तु यह कि जब तक मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति, जिसके दो सदस्यों में से एक विकास आयुक्त एवं एक राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य होंगे, का जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक राज्य महिला आयोग को भंग नहीं किया जा सकेगा ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि किसी भी संस्था को भंग करने के पहले जांच कराया जाना जरूरी है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है या नहीं । ऐसे ही सरकार की मनमर्जी से यदि संस्थाएं भंग और पुनर्गठित होती रहेंगी तो कोई भी संस्था समुचित रूप से काम नहीं कर पाएगी ।

टर्न–24/सुरज/29.02.2024

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–3 में प्रस्तावित उपधारा 4(3) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय–

परन्तु यह कि जब तक मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में गठित एक त्रिसदस्यीय समिति, जिसके दो सदस्यों में से एक विकास आयुक्त एवं एक राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य होंगे, का जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक राज्य महिला आयोग को भंग नहीं किया जा सकेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 14(क)(i) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''लिए'' एवं तीसरी पंक्ति के शब्द ''विशेषज्ञों'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये किया है ताकि विशेषज्ञ उच्च गुणवत्ता और राष्ट्रीय मानक के हों ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 14(क)(i) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''लिए'' एवं तीसरी पंक्ति के शब्द ''विशेषज्ञों'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 14(क)(i) की चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''एक सदस्य'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन सदस्यों'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये किया है क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है एक ही विशेषज्ञ ऐसे होंगे, जो महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रवण के जानकार होंगे । राज्य महिला आयोग से संबंधित सुझाव दिया जाना है इसलिये मेरा प्रस्ताव है कम से कम तीन महिलाओं से संबंधित कानून के जानकारों को समिति में रखा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 14(क)(i) की चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''एक सदस्य'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन सदस्यों'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी विधेयक के खंड-4 में एक संशोधन आपके द्वारा दिया गया है जिसमें खंड-4 के प्रथम पंक्ति में रोमन संख्या (i) के स्थान पर रोमन संख्या (ii) किये जाने का अनुरोध है । परन्तु माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इस आशय की सूचना पूर्व में ही सदन को दे दी गयी है । यह एक शाब्दिक अशुद्धि है और प्रस्तावित धारा 14(क)(i) में अंकित रोमन संख्या (i) को रोमन संख्या (ii) के रूप में माना जाय ।

अतएव इस शाब्दिक अशुद्धि को मानते हुये रोमन संख्या (ii) के रूप में पढ़े जाने की अनुमति दी जाती है । अब इसमें किसी प्रकार के संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, अधिनियमन बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 के रूप में कहा जा सकेगा । वर्तमान संशोधन अधिनियम की

तारीख से वर्तमान में कार्यरत बिहार राज्य महिला आयोग भंग हो जायेगा । आयोग के भंग होने पर राज्य सरकार आयोग के मामले में प्रबंधन के लिये एक प्रशासक नियुक्त करेगी, जो सरकार के सचिव स्तर के अन्यून नहीं होंगे । राज्य सरकार के प्रशासक को निर्देश, परामर्श जारी करने का अधिकार होगा, जो प्रशासक के लिये बाध्यकारी होंगे । इस अधिनियम के कारण एवं उद्देश्य के अनुरूप व्यापक जनहित के आलोक में विहित कार्यकाल के होते हुये भी राज्य सरकार को किसी भी समय आयोग को भंग करने की शक्ति होगी । आयोग के विघटन के उपरांत अंतरकाल के दौरान राज्य सरकार बिहार राज्य महिला आयोग के काम-काज के पुर्नगठन के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी, जिसमें पांच सदस्य होंगे । इसमें से कम से कम एक सदस्य को महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रबंधन का व्यापक ज्ञान होना आवश्यक होगा । यह समिति सरकार को एक माह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करेगी जिसकी अनुशंसा को राज्य सरकार महिलाओं के हित में आवश्यक संशोधन के साथ स्वीकार करेगी एवं उचित समझने पर इससे संबंधित आदेश अधिसूचना संकल्प बनाकर लागू करने का प्रयास करेगी । विशेषज्ञों की समिति के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने के एक माह के प्रावधान के पूरा होने के उपरांत राज्य सरकार अधिकतम दो माह के अंदर बिहार राज्य महिला आयोग का गठन करेगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 पर विचार हो ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 दिनांक-31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया ताकि कोई भी विधेयक सदन से पारित हो तो वह बहुत ही अच्छे सोच-विचार करके पारित हो । बहुप्रचारित हो और न सिर्फ जनता के मत का उसमें समावेश हो ताकि लोगों को लगे कि उनके द्वारा यह कानून बना है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 दिनांक-31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह : मूव करेंगे महोदय । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।'' पुन: विधान सभा में उस पर विचार-विमर्श हो ।

(क्रमश:)

टर्न–25/राहुल/29.02.2024

श्री अजय कुमार सिंह (क्रमशः) : महोदय, इसके तहत ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार केवल इससे प्राप्त हो रहे कर, शास्ति एवं सूद की जो सृजित मांग के प्रति चिंतित हैं न कि छोटे व्यवसायी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलिये । उनको बोलने दीजिये । बोलिये ।

श्री अजय कुमार सिंह : न कि छोटे होटल व्यवसायी मनोरंजन, विज्ञापन, विद्युत शुल्क इत्यादि पर लगाये जाने वाले एस0जी0एस0टी0 में कुछ आकर्षिक छूट अथवा प्रस्ताव लेकर सेवा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा व्यवसायियों को आकृषित कर सके । महोदय, यहां जो होटल की बात की गयी है तो यहां किसान भी हैं और छोटे वर्ग के लोग जिनकी आय कमजोर है, मध्यम वर्ग के भी हैं, कुछ मोर्या और चाणक्या में ठहरने वाले भी लोग हैं तो उनके लिए भी इसमें विचार आना चाहिए । छोटे और मझोले आय वाले लोगों के लिए विचार आना चाहिए और बचौल जी, इसका आप विरोध कीजियेगा तो आपके यहां छोटे–मझोले आय वाले लोग बिगड़ जायेंगे आप पर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इधर बात कीजिये । इधर देखकर बात कीजिये । उधर मत बात करिये ।

श्री अजय कुमार सिंह : इसी आशय से मैंने कहा है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में सौंप करके इस पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-4 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 के अन्त में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय ''प्रपत्र, रीति एवं समय-सीमा संबंधी पत्र 15 दिनों के अंदर जारी कर दिया जायेगा ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि सबकी समय-सीमा निश्चित हो । ऐसा नहीं हो कि महीनों/वर्षों तक प्रपत्र, रीति एवं समय-सीमा संबंधी अधिसूचना निर्गत ही न हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 के अन्त में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय ''प्रपत्र, रीति एवं समय-सीमा संबंधी पत्र 15 दिनों के अंदर जारी कर दिया जायेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 एवं 6 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-1 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-1 के उपखंड (3) की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''छः महीने'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन साल'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि वर्ष-2015, 2016, 2021 में यह विधेयक आ चुका है और चूंकि छः माह की ही अवधि निश्चित थी इसीलिए

फिर से इसे वर्ष-2024 में लाना पड़ा और इसमें सदन का बहुमूल्य समय लगता है इसलिए छः माह के बदले तीन साल तक किये जाने का मैंने प्रस्ताव किया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-1 के उपखंड (3) की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''छः महीने'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन साल'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक के अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आप जो विधेयक लाये हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व संग्रह को बढ़ाने के प्रति तो आप चिंतित हैं परंतु जिन अधिनियमों का जैसे बिहार होटल विलासिता अधिनियम है, मनोरंजन से संबंधित जो अधिनियम है, विद्युत शुल्क से संबंधित जो अधिनियम है । उन अधिनियमों के तहत आप कुछ ऐसा एस0जी0एस0टी0 में, आपने उस विधेयक में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया है कि एस0जी0एस0टी0 के तहत जो कि आपका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है एस0जी0एस0टी0 । उसके तहत आपको छूट है जैसे होटल व्यवसायी हैं तो होटल व्यवसायी अगर 18 परसेंट जी0एस0टी0 लेते हैं, 18 परसेंट सी0जी0एस0टी0, 18 परसेंट एस0जी0एस0टी0 तो आप जब तक होटल व्यवसायियों में खासतौर से छोटे और मझोले मतलब छोटे और मीडियम लेवल के जो होटल व्यवसायी हैं या सर्विस सेक्टर के ऐसे लोगे हों चूंकि इसमें सर्विस सेक्टर का ही ज्यादा मेंशन किया गया है, सर्विस सेक्टर के लिए ही यह विधेयक आपने लाया है तो सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए आप अपनी एस0जी0एस0टी0 में जब तक कुछ आकर्षक छूट नहीं देंगे, उनके लिए किसी प्रकार की कोई प्रस्तावना नहीं रखेंगे कि

उनको आप क्या अलग से सुविधाएं दे रहे हैं तो किस प्रकार से आप हमारे प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित कर सकते हैं, उनको उद्योग लगाने के लिए आकर्षित कर सकते हैं । इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं आयी है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह भी इस विधेयक में लागू होना चाहिए था, इस विधेयक में ये बातें भी होनी चाहिए थी और इसके तहत इसे एक बार फिर से जनमत संग्रह अथवा प्रवर समिति को भेजने की कृपा करेंगे ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की और पता नहीं आज अजीत जी लगातार संशोधन पर ही लगे हैं और उनके सब संशोधन अस्वीकृत ही हो रहे हैं लेकिन यह जो कराधान विवादों का सामाधन विधेयक है यह मूलतः वन टाइम सेटलमेंट का मामला है । पहले कई बार इस योजना को लाया गया है और कई बार इसके माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट किया गया है । इसके जो मूल प्रस्ताव हैं उसमें है कि 31 जनवरी, 2024 तक विवादों में पड़ा हुआ जो सेटलमेंट है उसका निपटारा करना है और 6 महीने तक के लिए यह कानून बनाया जा रहा है फिर उसके बाद यदि राज्य सरकार को लगेगा कि इसके बाद भी निपटारा करने के लिए कुछ समय चाहिए तो छः महीना उसको और बढ़ाया जायेगा । इसमें जो प्रस्ताव लिये गये हैं ब्याज और पेनल्टी के मामले में हम 90 परसेंट की छूट दे रहे हैं अर्थात विवाद ब्याज एवं पेनल्टी का मात्र 10 परसेट भुगतान करने पर विवाद का निपटारा हो जायेगा । इससे ज्यादा छूट क्या हो सकती है । इसलिए यह पूरी तरह विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा । इसी प्रकार जो बकाया कर है उस मामले में 65 परसेंट की माफी भी दी गयी है अर्थात है कि विवाद राशि का मात्र 35 परसेंट भुगतान कर विवाद समाप्त किया जा सकता है । इसलिए माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ जी ने अपने प्रस्ताव लाये थे कि इसको जनमत के लिए जाना चाहिए तो हम लोगों ने व्यापारी और उद्योग संगठनों के माध्यम से जो प्रतिनिधि हैं, बार एशोसिएशन के लोग हैं उन लोगों से विचार करने के बाद ही यह फैसला लिया गया है और साथ ही साथ, जो अजय जी ने प्रस्ताव लाया है वह भी क्योंकि व्यापार और उद्योग संगठनों से वार्ता करने के बाद ही वे जो चिंता कर रहे

थे छोटे-छोटे उद्यमी के लिए अब जब हम 90 परसेंट ब्याज में छूट दे रहे हैं और 65 परसेंट मूलधन में छूट दे रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए ।

क्रमश :

टर्न-26/मुकुल/29.02.2024

क्रमश:

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि बिहारा कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 को पास किया, स्वीकृत किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 विचार हो।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक-31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, इसके पीछे मेरी मंशा स्पष्ट है, मैं चाहता हूं कि बराबर यहां संशोधन नहीं लाना पड़े, बल्कि कोई भी कानून बने तो उसमें जनता की भी भागीदारी हो, क्योंकि कानून अंततः जनता के लिए ही बनाये जाते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक-31 मई, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह : जी, मूव करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड–2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन के चौथी पंक्ति के शब्द ''व्यवहारियों'' के स्थान पर शब्द ''व्यवसायियों'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य एवं हेतु में स्पष्ट है कि ''व्यवसायियों'' फिर यहां ''व्यवहारियों'' रखने का कोई तुक नहीं है । मेरी समझ से व्यवसायी रखा जाना चाहिए इसलिए सरकार को इसे मान लेना चाहिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से माननीय बिजेंद्र बाबू जी का प्रस्ताव है कि माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी का नाम आज के बाद से श्री संशोधन शर्मा रख दिया जाय ।

अध्यक्ष : लेकिन माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी जागरूक हैं, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन के चौथी पंक्ति के शब्द ''व्यवहारियों'' के स्थान पर शब्द ''व्यवसायियों'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 जो लाया गया है वह कुछ पार्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सेंटर सब्जेक्ट्स हैं जैसे-पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एल0पी0जी0 और ए0टी0एफ0 के लिए लाया गया है। इसमें महोदय जो करदाता हैं उनको दो केटेगरी में रखा गया है, एक ऐसे करदाता हैं जोकि अपना रिटर्न भरते हैं, टैक्स भरते हैं तो उसमें वे एक करोड़ से कम वाले करदाता हैं और एक ऐसे हैं जोकि 1 करोड़ से ज्यादा वाले हैं जिनका टर्न-ओवर ज्यादा है वे टी0ए0आर0-1 भरते हैं लेकिन इनमें जब तक आप अंकेक्षण नहीं रखेंगे, जब तक इसका ऑडिट आप नहीं रखेंगे तो कैसे । चूंकि आप इसपर सेल टैक्स लेते हैं, राज्य सरकार इस पर सेल टैक्स लेती है, वाणिज्य कर लेती है तो आप अपने अधिकारियों को, एक तरह से मुझे लगता है कि कहीं मनमानी तो नहीं करने दे रहे हैं कि कौन 1 करोड़ में आयेगा कौन 1 करोड़ में नहीं आयेगा । इस पर रोक करने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए इसमें कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे प्रवर समिति अथवा जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 इसलिए लाया गया है कि हम रियायत दे सकें । हमलोग लोगों को पचड़े से बाहर निकालना चाहते हैं और खासकर अजीत शर्मा जी जिन्होंने संशोधन लाया, सबसे ज्यादा इन्हीं को इसमें दिक्कत होती होगी, मैं बताता हूं क्योंकि इनके पास पेट्रोल पम्प है और पेट्रोल पम्प वाले को हमलोग माफी दे रहे हैं तो अब इनको दिक्कत हो रही है, इनका होटल भी है । लेकिन इसमें मूलतः वर्ष 1 जुलाई, 2017 जब पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू की गई तो डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड और ए0टी0एफ0 को जी0एस0टी0 प्रणाली से बाहर रखा गया । राज्य में इनका कर प्रशासन बिहार वैट अधिनियम के द्वारा होता है और राज्य में डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस तथा ए0टी0एफ0 पर वैट की दयेता इसकी प्रथम बिक्री पर ही निर्धारित की जाती है । मतलब जो कम्पनियां हैं उन्हीं से हम सीधा वैट ले

लेते हैं, पेट्रोल पम्प से कोई वैट बिहार सरकार को प्राप्त नहीं होता है । ऐसी स्थिति में इस पूरे संशोधन में यही लाया गया है कि बाद में जो उनको रिटर्न भरना पड़ता है, उस रिटर्न से उनको मुक्त कर रहे हैं तो हम यह पेट्रोल पम्प वालों को फायदा दे रहे हैं कि आपको बाद में कोई रिटर्न देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह अजीत शर्मा जी के लाभ की बात है और ये संशोधन ला रहे हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा और इस पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि यह पूरी तरह बिहार के व्यवसायियों के लिए, बिहार के आर्थिक रूप से जो बिहार विकसित हो रहा है और इसमें एक रुपये का भी नुकसान कहीं से नहीं है इसलिए मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-29 फरवरी, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-40 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक-01 मार्च, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।